

A vibrant tropical beach scene with lush green palm trees in the foreground, a clear blue sky with a few white clouds, and a view of the ocean and distant mountains. The text is overlaid on the upper portion of the image.

नारी उत्थान की समस्या और समाधान

— श्रीराम शर्मा आचार्य
— डा. प्रणव पंड्या (एम. डी.)

नारी उत्थान की समस्या और समाधान

✱

लेखक :

पं. श्रीराम शर्मा आचार्य
डा. प्रणव पंड्या (एम. डी.)

✱

प्रकाशक :

युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट

गायत्री तपोभूमि, मथुरा

फोन : (०५६५) २५३०१२८, २५३०३९९

मो. ०९९२७०८६२८७, ०९९२७०८६२८९

फैक्स नं०- २५३०२००

पुनरावृत्ति सन् २०१३

मूल्य : १०.०० रुपये

भूमिका

नारी के अंतर्मन में आत्महीनता की ग्रंथि पीढ़ियों से जम गई है, वह स्वयं अपने को हीन, असमर्थ, दीन-दुर्बल, पराधीन, दुर्भाग्य की मारी हुई मान बैठी है। इस मान्यता के रहते न कोई बड़ा सुधार हो सकेगा और न बड़ा परिवर्तन। स्थिति बदलने के लिए बाहर से थोपे गए उपाय उतने कारगर नहीं हो सकते जितने कि पीड़ित पक्ष के तनकर खड़े हो जाने पर संभव होता है, इसलिए न केवल शिक्षा की वरन् उत्कर्ष का इस स्तर तक उभार होना चाहिए कि उसे चरण दासी बने रहने की स्थिति स्वीकार नहीं वरन् वह पुरुष पर शासन करने की स्थिति तक पहुँचकर रहेगी और दबाव से नहीं वरन् स्वेच्छा से उसे सद्भाव भरा सहयोग प्रदान करेगी। माता के रूप में वह संतान का पोषण भी करती है और मार्गदर्शन भी। पत्नी के रूप में वह पति को सघन आत्मीयता का अमृत भी पिलाती है, साथ ही उच्छृंखलता न बरतने वाला अंकुश भी लगाती है। भगिनी और पुत्री दबाव तो उतना नहीं दे पाती, पर अपने भाव भरे संवेदन द्वारा भाई या पिता को मर्यादा में रहने के लिए प्रकारांतर से बाधित अवश्य करती है। यह शाश्वत समर्थता अब तक इन दिनों प्रयुक्त हो नहीं पा रही है, अब उसे अपनी सत्ता और महत्ता का आत्मबोध स्वयं प्राप्त करना है साथ ही यह भी सोचना है कि अब की अपेक्षा भविष्य में किस प्रकार अच्छी स्थिति तक पहुँचना संभव हो सकता है—यह चिंतन हर किसी पिछड़ी स्थिति वाले के मन में उठना चाहिए, भले ही उसे असंतोष भड़कना ही क्यों न कहा जाए। यह हर मनुष्य का ईश्वर प्रदत्त अधिकार है कि वह अपने उज्ज्वल भविष्य की कल्पना और चेष्टा करे। यह मानसिकता हर किसी की रहनी चाहिए अन्यथा प्रगति का पथ ही रुक जाएगा।

नारी उत्कर्ष के लिए कौन आगे आए ?

सुशिक्षित महिलाएँ अपनी योग्यता के बल पर स्वावलम्बी बनने की दिशा में भी सफलता प्राप्त कर लेती हैं और उन्हें समुचित सम्मान भी मिल जाता है। अपनी विशिष्टता के बल पर वे परिवार के, पड़ोसी-संबंधियों के साथ सद्भाव भी बनाए रहती हैं। उन्हें अपनी क्षमता पर आत्म विश्वास भी रहता है और आड़े समय में वे उसका सदुपयोग भी कर लेती हैं। घर वाले भी उन पर इतना दबाव नहीं डालते जिसे वे सर्वथा अस्वीकार कर दें।

सुशिक्षित महिलाओं के संबंध में तो एक ही समस्या है कि वे नौकरी—व्यवसाय आदि करती हैं तो घर-परिवार को, बच्चों को कौन सँभाले ? दूसरी समस्या यह है कि यदि वे घर पर रहती हैं तो मिल-जुलकर काम करने की पद्धति चल पड़ने पर उनका तो समय खाली रहता है उसे किस कार्य में इस तरह लगाया जाए कि उसका कोई उपयोगी सत्परिणाम निकल सके। खाली रहने पर हर किसी का समय बेकार कामों में खर्च होता है और मस्तिष्क में अनगढ़ विचार प्रवाह बहता है। इस दृष्टि से अशिक्षित महिलाएँ भली पड़ती हैं जो घर-परिवार के कामों में इस कदर जुटी रहती हैं कि उनके सामने खाली समय रहने और उसमें ऊलजलूल सूझने जैसी कठिनाई सामने ही नहीं आती।

घर से बाहर काम करने जाने वाली महिलाओं की स्थिति दूसरी है। वे घर का काम भी सँभालती और दुकान—दफ्तर आदि को भी देखती हैं, उनका समय सरलतापूर्वक कट जाता है। उनके सामने यह प्रश्न नहीं आता कि वे खाली समय का क्या करें ? यह प्रश्न उस दशा में तो पैदा होता ही नहीं, जब महिलाएँ अविवाहित रहकर नौकरी आदि करती हैं तब परिवार की अन्य महिलाएँ घर का काम सँभाल लेती हैं और बेटी-ननद होने के नाते उनका सम्मान करतीं और काम नहीं करने देतीं। ऐसी दशा में उनका समय भी

खाली बच जाता है और स्थिति प्रायः वैसी ही बन जाती है जैसी कि अमीर-रईस घरों की महिलाओं की होती है। अमीरों के यहाँ घरेलू काम नौकर-चाकर करते हैं और महिलाएँ अपनी सज-धज में टी. वी.—रेडियो जैसे मनोरंजनों के सहारे समय काटती हैं। उनकी शिक्षा भले ही ऊँची हो, प्रतिभा भी अच्छी हो, पर उपयोगिता की कसौटी पर कसने से यही निष्कर्ष निकलता है कि उन्हें भी बेरोजगारों जैसी स्थिति में रहना पड़ता है, भले ही यह अभाव उन्हें अखरता न हो—भले ही गरीब लोग 'बड़ी भाग्यवान्' कहकर चापलूसी करते हों।

महत्त्वपूर्ण प्रश्न एक ही है कि हर व्यक्ति का समय किसी उपयोगी सृजनात्मक कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए। किसी के पास भी इतना समय खाली न रहना चाहिए कि उन्हें ठलुआ कहा जा सके—यह स्थिति दयनीय भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी। इसके कारण राष्ट्रीय प्रगति की संभावनाओं में कमी आती है। ठाली व्यक्ति चाहे बीमारी के, अपंगता के, रोजगार रहित होने के कारण अनुत्पादक हो गया हो अथवा अमीरी या उच्च शिक्षा के कारण—हर हालत में उसकी योग्यता का लाभ समाज को नहीं मिलता। परिवार भी उन्हें पाकर गुड़िया जैसी 'शोपीस' भर अनुभव कर सकता है। यह नहीं सोचता कि उसके आगमन से प्रगति की दिशा में कोई बढ़-चढ़कर योगदान मिला।

यहाँ यह नहीं कहा जा रहा है कि जिनके घर में खुशहाली है वे भी पैसा कमाने में लगे। क्योंकि औसत भारतीय स्तर से अधिक मात्रा में जहाँ भी खुशहाली बढ़ेगी वहाँ दुर्गुणों की, दुर्व्यसनों की घुसपैठ होगी। अनावश्यक धन संचय से उत्पन्न विकृतियाँ इतनी अधिक हानिकारक होती हैं कि उन्हें देखते हुए यही सोचना पड़ता है कि अमीरी किसी के सौभाग्य का चिन्ह है अथवा उसके कारण समाज का कोई हित साधन होता है ? अर्थ नीति में सदाशयता का प्रवेश तभी होता है जब मनुष्य व्यक्तिगत रूप से 'सादा जीवन उच्च विचार' की नीति अपनाएँ और अपनी बढी हुई योग्यता का लाभ लोक मंगल के परमार्थ प्रयोजनों में नियोजित करे।

बात शिक्षित महिलाओं की है, जिन्हें किसी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य में व्यस्त रहना पड़ता है उनकी बात दूसरी है, पर जिन्हें जिस भी कारण अवकाश मिलता है उन्हें एक ही बात सोचनी चाहिए कि इन बहुमूल्य क्षणों को बेकार के या कम महत्त्व के कामों में खर्च करने की अपेक्षा वे उन्हें लोकमंगल में लगाने की बात सोचें। यह अच्छा-खासा मनोरंजन भी है साथ ही जन कल्याण की साधना में निरत रहने के कारण आत्म संतोष प्रदान करने वाला भी और दूसरों के सामने एक अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करने वाला भी।

ठलुआपन भी जब आलस्य-प्रमाद की अन्य शाखाओं की तरह अभ्यास में उतर जाता है तो समय काटने के लिए कुछ भी हल्का-फुल्का कारण या बहाना ढूँढ़ लिया जाता है। यह बात आदमी के संबंध में इसी रूप में लागू होती है। यदि कोई गंभीरतापूर्वक और तीव्र समीक्षा की दृष्टि से देखें तो प्रतीत होगा कि यदि कामों में चुस्त दुरुस्त ढंग से लगा जाए तो उसके आधार पर समय को इस प्रकार सुव्यवस्थित किया जा सकता है कि सामान्य काम भी ठीक तरह चलते रहें और किन्हीं महत्त्वपूर्ण परमार्थिक कार्यों के लिए काफी समय निकाल सकें। समय रबड़ की तरह है, उसे खींचकर बढ़ाया भी जा सकता है और सिकुड़ जाने पर जरा से आकार का रह जाता है।

चर्चा विशेष रूप से सुशिक्षित महिलाओं के संबंध में की जा रही है जिनमें से अधिकांश की स्थिति ऐसी होती है कि चाहें तो घरेलू कार्यों के अतिरिक्त लोकहित के लिए कुछ अवकाश निकाल सकें। समाज की वास्तविक प्रगति ऐसे ही समयदानी लोकसेवियों से होती है। राष्ट्र इन्हीं के कंधों का सहारा पाकर आगे बढ़ते और ऊँचे उठते हैं।

सरकारी विभाग और अफसर अपने ढंग से लोकहित कार्य करते हैं, पर मात्र उन्हीं की क्रिया-कलापों पर भविष्य निर्माण का कार्य सौंपकर निश्चित नहीं हुआ जा सकता। दूसरा पक्ष जन सहयोग का भी उतना ही आवश्यक है, इसके बिना सरकारी कामों में उतनी सफलता नहीं मिल सकती जितनी कि मिलनी चाहिए। जन सहयोग

से ही सरकार की प्रगतिशील योजनाओं को बल मिलता है और वे प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होती हैं।

सुशिक्षित महिलाओं का खाली समय एक ही काम में लगना चाहिए के वे नारी उत्कर्ष की बात सोचें और उसी एक कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने देश की स्थिति विचित्र है, यहाँ नारी के घर के लोगों से ही संबंध रखने के लिए बाधित किया जाता है। वे पुरुषों से विशेषतया घर से बाहर के लोगों के साथ संपर्क बनाने से रोकी जाती है। परंपरागत कारणों से उनका सहज स्वभाव भी ऐसे ढाँचें में ढल जाता है कि किसी कार्य में व अन्य पुरुषों का संपर्क न तो लेना चाहती हैं और न देना। ऐसा करने पर उसे लोक परंपरा के प्रतिकूल भी माना जाता है।

प्रश्न नारी उत्कर्ष का है। उसके लिए जहाँ विविध प्रकार के साधन जुटाने की आवश्यकता है, वहाँ यह भी आवश्यक है कि उन प्रयोजनों में नारी की अभिरुचि जगे, उनमें उत्साह जगाया जाए। अपने देश में यही बड़ी कठिनाई है। आदिवासियों के लिए सरकार उत्थान की योजना बनाती है, साधन भी जुटाती है, पर दूसरी ओर से उपेक्षा दिखाए जाने के कारण सहयोग के अभाव में किया कराया निरर्थक हो जाता है। यही बात किसी कदर देहाती महिलाओं के संबंध में भी लागू होती है। वे तथा उनका परिवार किसी ऐसी योजना में उत्साह नहीं दिखाता जो परंपरागत नहीं। कुरीतियों में ढेरों समय और पैसा खर्च कर देने वाले लोग भी उस आवश्यकता का अनुभव नहीं करते कि पैसा खर्च करने की योग्यता, कुशलता को बढ़ाया जाना भी आवश्यक है। इस आधार पर उनकी निजी प्रगति तथा उनके समाज के उत्कर्ष का द्वार खुल सकता है।

शिक्षित नारियों को एक ही कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि उसके समुदाय को गई-गुजरी स्थिति से ऊँचा उठने का अवसर कैसे मिले ? यों प्राणिमात्र एक है, मनुष्य एक मात्र एक है, पर प्राथमिकता उन्हें मिलनी चाहिए जिनकी आवश्यकता बड़ी-चढ़ी है। अस्पतालों में यों भर्ती सभी मरीजों का यथाक्रम इलाज होता है, पर यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त आता है तो डॉक्टर सब काम छोड़कर उसे

सँभालने में लग जाता है। विशेष परिस्थितियाँ या विशेष विपत्तियाँ आने पर सहयोग के लिए भी लोग तत्काल दौड़ पड़ते हैं। नारी की दशा इन दिनों ऐसी ही दयनीय है कि उसे तात्कालिक सहायता मिलनी चाहिए।

मध्यकाल के सामंती अंधकार युग में दास-दासियों का दमन-शोषण अत्यधिक हुआ। अन्यान्यों पर किए गए अत्याचार जैसे थे जिनका निपटारा इस या उस प्रकार जल्दी ही हो गया, पर दास-दासियों को लंबे समय की आजीवन गुलामी सहनी पड़ी और सिसक-सिसक कर दम तोड़ना पड़ा।

कानूनन वे प्रथाएँ बंद हो गईं। दास वर्ग पुरुष होने के कारण अवसर मिलते ही तनकर खड़ा हो गया और अपने मौलिक अधिकारों को बड़ी सीमा तक वापिस लौटाने में सफल हो गया। जो कमी रह गई है कि वह तेजी से पूरी होती जा रही है।

किन्तु औसत नारी की स्थिति अभी भी दासी स्तर की बनी हुई है। भारत की तीन चौथाई आबादी छोटे बिखरे देहातों में रहती है। वहाँ नारी श्रम तो पूरा करती हैं, पर उसके व्यक्तित्व का निखार हो सके—ऐसा कोई सुयोग किसी ओर से मिलता देख नहीं पड़ता। विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा है, दूसरी स्वावलंबन। इन दोनों ही क्षेत्रों में देहाती नारी की स्थिति अपंग जैसी—बंदी जीवन व्यतीत करने वाले जैसी है। वह पुरुष की चल संपदा बनकर हर दृष्टि से उसी की दया पर निर्भर रह रही है। न उसे शिक्षा के अवसर प्राप्त हैं, न स्वावलंबन की क्षमता विकसित करने का कोई सुयोग है। इसके अतिरिक्त रूढ़ियों-कुरीतियों ने उसी वर्ष को सबसे अधिक जकड़ा है, जिसके कारण उसकी मानवोचित, महत्वाकांक्षाएँ, कामनाएँ, अधिकार, भी मर गई हैं। हारे, थके, टूटे, निराश व्यक्ति की जो मनोदशा होती है, वही नारी की है।

नारी और नर दोनों ही जनसंख्या की दृष्टि से प्रायः आधे-आधे हैं। इसमें शहर भी सम्मिलित हैं और ग्राम भी। आधी जनसंख्या गई-गुजरी स्थिति में रहे तो उसे किसी देश—समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही माना जाएगा। मात्र पुरुष की उन्नति को, उसके उत्पादन

को, उसकी कुशलता को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। यदि वह इसी स्थिति में पड़ी रही तो पुरुष को भी उसकी गई-गुजरी स्थिति का भार वहन करना पड़ेगा, पड़ रहा है।

शिक्षित नारियों की संख्या नगण्य है। नारी ने शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में कदम तो उठाए हैं, पर वे उठे शहरों और कस्बों के मध्य वर्ग में ही हैं। इनमें से भी ऐसी कम हैं जिन्हें लोकसेवा के लिए समय मिलता हो। जितनी भी हों, वस्तुतः, उन्हीं की जिम्मेदारी है कि नारी की वर्तमान दुर्दशा से उबारें—उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलम्बन की दिशा में कुछ कदम बढ़ा सकने योग्य बनाएँ।



नारी प्रगति का शुभारंभ कहाँ से हो ?

नारी को वर्तमान गई-गुजरी स्थिति तक पहुँचाने की जिम्मेदारी पुरुष की है। उसी ने अपने अहंकार और शोषण का शिकंजा कस कर नारी समुदाय को अपंग जैसी स्थिति में पहुँचाया है। अनेकानेक प्रतिबंधों में जकड़ी हुई बंदी जैसी स्थिति में घर के पिंजड़े में कैद रहती हुई शिक्षा और स्वावलम्बन के क्षेत्र में असमर्थ नारी जैसी दीन-हीन स्थिति में रह सकती थी, वैसी ही वह आमतौर से रह रही है।

जिसे प्रोत्साहन न मिले, सहयोग का अभाव रहे, कोल्हू के बैल की तरह पिसते रहना ही जिसकी नियति हो वह और कुछ कर भी क्या सकेगा ? चौकीदारिन, रसोईवारिन, धोबिन जैसी स्थिति में उसे जिंदगी गुजारनी पड़ती है। बच्चों पर बच्चे उसकी पीठ पर चढ़ते चले जाते हैं, जिनके परिपोषण का न तो उसे समुचित ज्ञान है और न उनके शरीर में इस भार वहन के लिए उपयुक्त सामर्थ्य। ऐसी दशा में उसकी कुचली हुई आत्मा और जर्जर काया किसी प्रकार अपने मौत के दिन ही पूरे करती रह सकती है।

क्या इसी स्थिति को यथावत् बने रहने दिया जाए ? क्या आधी जनसंख्या राजनैतिक गुलामी से भी बुरी पराधीनता में इस प्रकार अपने दिन गुजारती रहे ? क्या राष्ट्र आधी जनसंख्या को दीन-हीन स्थिति में पड़ी रखकर अपनी प्रगति की कल्पना करे और संभावना सोचे ? इन सभी प्रश्नों के उत्तर में एक 'नहीं' ही कहा जा सकता है।

उज्ज्वल भविष्य की संभावना का स्वप्न देखने और उसके लिए योजनाएँ बनाने वालों को अतिगंभीरतापूर्वक विचार करना होगा कि क्या संसार की आधी जनसंख्या को इसी उपेक्षित तिरस्कृत, पददलित स्थिति में पड़े रहने दिया जाए जिसमें कि वह आज किसी प्रकार निर्वाह कर रही है। समय की माँग है कि व्यक्ति और समाज के सामने उपस्थित अन्यान्य समस्याओं के समाधान की बात सोचते समय यह भुला न दिया जाए कि 'नारी जागरण' आज की महती आवश्यकता है। इस ओर उपेक्षा बरतने पर हम आधी दुनियाँ की शक्ति और स्थिति की उपेक्षा ही कर रहे होंगे। ऐसी दशा में अन्यान्य समस्याओं के किसी प्रकार हल खोज लेने पर इतना बड़ा अवरोध मार्ग में खड़ा रह जाएगा जो किसी भी प्रगति योजना को सफल न होने देगा। पुरुष सुयोग्य, शिक्षित, संपन्न, क्रिया कुशल बने यह प्रसन्नता की बात है, पर सोचा यह भी जाना चाहिए कि एक पहिए की गाड़ी किस प्रकार चलेगी ? एक टाँग से लंबी यात्रा कैसे पूरी की जाएगी ? एक हाथ टूट जाने पर दूसरा अकेले ही सारे काम किस तरह सही रूप से पूरे कर सकेगा ? अर्धांग, पक्षाघात, पीड़ितों को अपनी शरीर यात्रा ही दूभर पड़ती है। उनके लिए कुछ उपार्जन कर सकता, सृजन में योगदान दे सकता किस प्रकार संभव हो सकता है ? जो स्वयं बंधनों में कसे जकड़े पड़े हों, वे दूसरों को कुछ योगदान दे सकने में किस प्रकार सीमा तक सफल हो सकेंगे ?

प्रसंग अत्यधिक गंभीरतापूर्वक विचार करने योग्य है। उलझी हुई नारी समस्या के समाधान को सर्वोपरि समझा जाय, उसे प्राथमिकता दी जाए। सुधार परिष्कार के लिए युद्ध स्तर पर प्रयत्न किया जाए।

माना कि शहरों, कस्बों में नई पीढ़ी की लड़कियाँ शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उनसे पुरुषों के समतुल्य अपनी योग्यता का विकास कर लिया है। उपार्जन कर सकने की क्षमता भी अर्जित कर रही है और महत्त्वपूर्ण पदों को भी सुशोभित कर रही हैं, पर देखा यह जाना चाहिए कि आधी जनसंख्या में उनका अनुपात कितना है—वे नगण्य जितनी हैं। भारत की तीन चौथाई जनसंख्या तो सुदूर एवं बिरल देहातों में ही बिखरी पड़ी है। शिक्षितों की तुलना में अशिक्षित ही तीन चौथाई जितने बहुमत में हैं—सोचा इसी के बारे में जाना चाहिए।

यों यह देहाती क्षेत्र आमतौर से गरीबी की रेखा से नीचे ही रह रहा है। उसके उत्कर्ष-अभ्युदय की भी महती आवश्यकता है, पर इससे भी अधिक चिंता का विषय अनेक बंधनों में आबद्ध, कुरीतियों का शिकार एवं शिक्षा से रहित वह नारी समाज है जो देश के देहातों में फैला हुआ है। यों शहरी कस्बों में भी पिछड़ापन कम नहीं है, कोठी-बंगलों में रहने वाली नारी की प्रगतिशीलता के लिए अवसर प्रदान करने वाले कम ही हैं। वहाँ भी अधिकांश जनता झुग्गी-झोंपड़ी में रहती, श्रमजीवी कठिन और अभावग्रस्त जीवन जीती हुई ही दिखाई देगी। इस संदर्भ में शहर-कस्बों की स्थिति विरल छोटे देहातों की तुलना में कुछ ही अच्छी मानी जा सकती है अन्यथा रूढ़िवादी प्रतिबंधों के बीच असहाय स्थिति में तो उन्हें भी रहना पड़ता है जो संपन्न एवं शिक्षित परिवार में रह रही हैं। उन्हें भी पुरुषों जैसी सुविधा एवं स्वतंत्रता कहाँ है ? वे भी स्वेच्छापूर्वक अपने लिए प्रगतिशीलता का मार्ग अपनाने में कहाँ स्वतंत्र हैं ?

संपन्न और शिक्षित कहे जाने वाले देशों में भी नारी की पराधीनता दूसरे प्रकार की है, उन्हें सोने की जंजीरों में जकड़ा गया है और पुरुषों के सम्मुख आकर्षक बनकर रहने और इस आधार पर अपने निर्वाह की सुविधा प्राप्त करने की स्थिति में रखा गया है। आए दिन तलाकों के कारण वहाँ भी नारी जीवन कम असुरक्षित नहीं है।

इन पंक्तियों में विचार भारतीय नारी जीवन पर किया जा रहा है। यों समृद्ध देशों की शिक्षित नारी की भी दशा कम सोचनीय नहीं है, पर कम से कम वहाँ इतनी सुविधा तो है कि वे अपनी इच्छानुसार अपने ढंग की विधा अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ तो इतनी भी नहीं है। पुरातन काल की दासी प्रथा यों प्रत्यक्ष रूप से अब नहीं रही, पर परोक्ष रूप से अधिकांश नारी समाज को वैसी प्रतिबंधित-शोषित स्थिति में निर्वाह करना पड़ रहा है।

सुधार कहाँ से आरंभ हो ? इसके लिए शिक्षा संवर्धन की बात कही जाती है पर इसके लिए उत्साह कैसे उत्पन्न किया जाए ? उन्हें प्रोत्साहन कौन दे ? सुविधा और अवसर मिल सकने की स्थिति कैसे बने ? यदि उनके लिए शिक्षा सुविधा जुटा दी जाए, यदि पाठशालाएँ खोल दी जाएँ तो प्रश्न वही आड़े आता है कि घर के लोग स्कूल भिजवाने के लिए क्यों तैयार हों ? रुढ़िवादिता इस मार्ग में बाधक क्यों न बने ? नारी शिक्षा का प्रचलन न होने पर पुरुष अपने घर की महिलाओं को पढ़ने के लिए घर से बाहर जाने देने के लिए कहाँ तैयार होते हैं।

लड़के लड़की का अंतर आज के लोक चिंतन पर बुरी तरह छाया हुआ है। लड़का होने पर बधाई गाई जाती है और लड़की के जन्मते ही मुँह लटक जाता है। सामान्य व्यवहार में भी दोनों के बीच भारी अंतर पड़ता है। लाड़-दुलार, खान-पान, पहनाव-उढ़ाव, शिक्षा-दीक्षा आदि के सभी क्षेत्रों में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है और लड़कियों को पराए घर का कूड़ा समझकर उनके प्रति उपेक्षा ही बरती जाती रहती है। यही बात बड़े होने पर भी नर-नारी के बीच भी अंतर रूप में जारी रहती है। शिक्षा और स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ने देने के लिए परिवार में किसी का भी उत्साह नहीं होता। ऐसे सौभाग्यशाली कुटुम्ब बिरले ही पाए जाएँगे जहाँ दोनों पक्षों के बीच समानता का व्यवहार चलता हो।

शिक्षा से प्रगति का शुभारंभ होने की बात सही है, उसमें मतभेद की गुंजाइश नहीं, पर प्रश्न यह है कि सरकार यदि स्कूलों की व्यवस्था कर भी दे तो उनमें किन प्रगतिशील घरों की लड़कियों

पढ़ने पहुँचें। पिछड़ेपन के रहते तो यही कहा जाता है कि लड़की घर का काम-काज देखेगी, माता का हाथ बँटाएगी, ससुराल जाने पर आवश्यक काम-काज सीखकर जाएगी। इन लाभों को छोड़कर उन्हें स्कूल भेजने की बात क्यों सोची जाए ? समझा जाता है कि पढ़ाई नौकरी करने के ही काम आती है। जिन्हें नौकरी नहीं करनी उन्हें पढ़ाई में क्यों समय खर्च करना चाहिए। इसी तर्क के आधार पर परिवार का मानस एक ऐसी रूढ़िवादिता से ग्रसित हो जाता है जिसमें लड़कियों को न तो पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और न वैसी सुविधा ही प्रदान की जाती है।

इस माहौल में स्वयं नारी की इच्छा भी मर गई है। घर छोड़कर स्कूल जाने से जब छोटे बच्चे तक उस अजनबीपन में प्रवेश करते हुए आनाकानी करते हैं तो लड़कियाँ-महिलाएँ तो विशेष रूप से एक ऐसे पालतू जंतु की तरह होती हैं जिन्हें स्वयं भी घर से बाहर जाने में, पढ़ाई का अनभ्यस्त काम अपनाने में उत्साह नहीं होता। ऐसी दशा में नारी प्रगति की बात सोचने वालों के, उसके लिए शिक्षा साधन जुटाने वाले के लिए यही कठिनाई जटिल रूप से खड़ी होती है कि उन्हें छात्राएँ नहीं मिलती हैं। जैसे-तैसे नाम लिखा भी लेती हैं तो घर वाले तनकि-सा बहाना मिलने पर स्कूल से नागा करा देते हैं। कई बार छात्राएँ भी पाठ याद न होने जैसी कठिनाई आगे आते ही पढ़ाई छोड़ बैठती हैं।

यही कठिनाई आदिवासी क्षेत्रों में भी आती है। वहाँ भी बच्चों की शिक्षा का, प्रौढ़ शिक्षा का प्रबंध जहाँ-तहाँ किया गया है, पर पढ़ने वाले वहाँ भी नहीं पहुँचते। अध्यापक रजिस्ट्रों की खाना-पूरी करते रहते हैं और जिस-तिस प्रकार लकीर पीटते रहते हैं। देहाती स्त्री शिक्षा के संबंध में भी यही बात है। शहर-कस्बों की बात दूसरी है, जहाँ लड़कियों के पढ़ने का भी प्रचलन चल पड़ा है वहाँ पास-पड़ोस से उठते हुए उत्साह को देखकर अधिकांश घरों की लड़कियाँ पढ़ने जाने लगती हैं किन्तु उन्हें भी वयस्क होने से पहले ही घर बिठा लिया जाता है। समझा जाता है कि वयस्क लड़कियाँ घर से बाहर रहेंगी तो उन्हें जमाने की हवा लगेगी और कुल की मान-मर्यादा पर आँच आवेगी।

शिक्षा को नारी प्रगति के लिए आवश्यक माना जाना और उसके लिए साधन जुटाया जाना आवश्यक है, इससे भी अधिक आवश्यक यह है कि लोक मान्यता में घुसी रूढ़िवादिता से लोहा लिया जाए। घर-परिवारों के सदस्यों, समर्थ नर-नारियों को यह समझाया जाए कि शिक्षा के सामयिक और दूरगामी लाभ क्या होते हैं और उससे वंचित रखे जाने पर दूरगामी दुष्परिणाम क्या भुगतने पड़ते हैं ? मूढ़ मान्यताएँ अपना दुराग्रह सहज ही छोड़ती तो नहीं है, पर यदि कोई पीछे लगा रहने वाला हो तो कई-कई बार संपर्क साधने और समझाने-बुझाने का कुछ ही परिणाम निकलता ही है। शत प्रतिशत न सही बीस-तीस परिणाम तो निकलने की आशा रहती ही है।

प्रश्न मात्र शिक्षा के लिए सहमति-असहमति का ही नहीं वरन् उस मानसिकता का है, जिसके कारण नारी को हेय, हीन और प्रतिबंधों में जकड़े रहने योग्य माना जाता है। उस मान्यता पर प्रथा परंपराओं की मुहर लगती रहती है और रूढ़िवादिता जड़ पकड़ती रहती है—आवश्यकता इसी मानसिकता को हटाए जाने की है।

नारी प्रगति के लिए शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए—यह उचित है, पर इससे भी अधिक आवश्यक यह है कि घर-परिवारों में प्रवेश करके ऐसा संपर्क साधा जाए जो नारी के प्रति बरती जाने वाली संकीर्णता से मोर्चा ले सके।



प्रथम चरण : शिक्षा का संवर्धन

शिक्षा संवर्धन की व्यवस्था बनाने के लिए साक्षरता का प्रबंध करवाना आवश्यक है ही, पर उससे भी प्रथम यह किया जाना चाहिए कि नारी प्रगति का आदि से अंत तक विरोध करने वाली प्रतिगामिता से लोहा लिया जाए। इसके रहते न तो किसी का उत्साह उठेगा और न उठने दिया जाएगा। फलतः शुभारंभ होना भी कठिन है।

घरों में प्रवेश करके परिवार के सदस्यों को, विशेषतया महिला सदस्यों को समझाने-बुझाने के कार्य को प्राथमिकता दी जाए ताकि उनमें नर-नारी के बीच खड़ी की गई खाई को पाटने की दिशा में कुछ काम हो सके। यदि यह बन पड़े तो यह तथ्य समझा जा सकेगा कि नर और नारी दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। दोनों का महत्त्व समान है साथ ही दोनों को ही ईश्वर प्रदत्त समान अधिकार प्राप्त हैं। दोनों के अधिकार और कर्तव्य एक जैसे हैं। दोनों अन्योन्याश्रित हैं। इनमें न कोई छोटा है न बड़ा। न्याय की तुला पर दोनों को ही समान बाँटों से तौला जाना चाहिए। किसी को भी बड़ा या छोटा नहीं समझा जाना चाहिए। प्रगति का अवसर दोनों को ही मिलना चाहिए। उससे किसी भी पक्ष को वंचित न रहने दिया जाना चाहिए। सभी को शिक्षित और स्वावलंबी बना सकने की योग्यता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

समझाया जाना चाहिए कि जिस प्रकार पेट को भोजन की आवश्यकता है उसी प्रकार मानसिक विकास की भूख को बुझाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। बिना पढ़े को इर्द-गिर्द से मिलने वाले सीमित ज्ञान पर ही निर्भर रहना पड़ता है और कूप-मंडूक जैसा जीवन जीना पड़ता है। सभ्य समाज में उसे प्रवेश नहीं मिल पाता और उसे सुविस्तृत ज्ञान से वंचित रहना पड़ता है, जो मनुष्य को घर बैठे बहुज्ञ, विद्वान, अनुभवी और दूरदर्शी बन सकने में असाधारण सहायता करता है। बिना पढ़े मनुष्य मात्र श्रमिक ही रह सकते हैं, जबकि पढ़े लोग अपनी विकसित बौद्धिकता के सहारे धन, यश, सम्मान विपुल मात्रा में अर्जित कर सकते हैं। विद्या ज्ञान-नेत्र खोलती है जबकि अशिक्षितों को चर्म चक्षुओं और छिद्र वालों को कान पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। यह तथ्य उदाहरणों से समझाया जा सकता है। उन्नतिशील मनुष्यों में से प्रत्येक को शिक्षा का सहारा लेना पड़ा है। साथ ही यह भी बताया जा सकता है कि अशिक्षितों को सीमित-ज्ञान के आधार पर पिछड़ी हुई स्थिति में रहना और गया-गुजरा जीवन बिताना पड़ता है।

मूढ़-मान्यताओं और कुरीतियों को घटाने-हटाने के लिए भी यह आवश्यक है कि प्रगतिशीलों और प्रतिगामियों के बीच का अंतर समझाया जा सके। हर क्षेत्र में शिक्षितों को ही बढ़त मिलती है, जबकि अनपढ़ के लिए प्रगति के प्रायः सभी द्वार बंद रहते हैं।

इस प्रकार का प्रचार व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, विचार गोष्ठियों द्वारा भजन-कीर्तन-संगीत द्वारा, चित्रों द्वारा किया जा सकता है। इसका उद्देश्य रूढ़िवादिता और समझदारी के बीच का अंतर समझाना है।

यह प्रथम चरण पूरा होने पर ही शिक्षा के लिए विशेषतया नारी शिक्षा के लिए उत्साह उठेगा। उसकी उपयोगिता और आवश्यकता समझी जा सकेगी। इसके उपरांत ही वह दूसरा चरण उठता है जिसमें लड़कियों और प्रौढ़ाओं में पढ़ने के लिए उत्साह उमंगें। घर वाले इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन एवं अवकाश प्रदान करें। यह समस्या का आधार समझाना है। आवश्यकता समझने पर तो व्यक्ति अभीष्ट उपलब्धि के लिए स्वयं भी प्रयत्न करने लगता है और जहाँ-तहाँ से साधन जुटा लेता है।

साक्षरता प्रचार को नारी जागरण का प्रथम चरण माना गया है। पर यह देखने में सरल लगते हुए भी वस्तुतः है बहुत कठि कारण कि इसके मूल में अव अवरोध ही प्रमुख रूप से बाधक जिसके अनुसार नारी को महत्त्वहीन ही नहीं प्रतिबंधित रखने योग्य माना जाता है। उसकी प्रगति संदेह और आशंका की दृष्टि से देखी जाती है। पुरुष को जो सुविधाएँ उपलब्ध हैं उन्हें नारी भी प्राप्त करे, यह अनावश्यक माना जाता है। जागृत नारी द्वारा समूचे परिवार और समाज का जो हित साधन हो सकता है उसकी किसी को कल्पना भी नहीं रहती। न उसके न्याय पक्ष का किसी को स्मरण आता है, जिसके अनुसार नर और नारी दोनों को ही मनुष्य जाति के अविच्छिन्न अंग समझा और समान दर्जा दिया जाना चाहिए।

यह मूढ़ मान्यता जब तक लोक मानस में गहराई तक जमी रहेगी, तब तक किसी महत्त्वपूर्ण प्रगति की आशा नहीं की जा सकती। साक्षरता जैसी सामान्य बात को ही लें। परिवार वाले उसे

व्यर्थ बतावेंगे। काम में हर्ज होने जैसे बहाने गढ़ेंगे और कोई पढ़ने को तैयार भी हो तो उसमें अड़गे लगाकर बात को बनने ही न देंगे। थोड़ा प्रयत्न आरंभ भी हुआ तो अगले ही दिनों उसे निरुत्साहित करके समाप्त कर देंगे।

इस संबंध में एक बाधा पढ़ने योग्यों का स्वयं अनिच्छुक होना भी है। परिवार वालों का रुझान उसे विदित हो जाता है। फलतः सोचा जाता है कि यदि पढ़ना आरंभ किया तो आए दिन ताने सहने और उपहास सुनने पड़ेंगे। एक बात यह भी है कि जब अन्य नारियाँ अशिक्षित रहकर ही काम चला रही हैं तो वह अकेले ही नया रास्ता चुनने का साहस कैसे करे ? फिर जिस कार्य का अवसर इससे पूर्व कभी नहीं मिला, उसके लिए नए सिरे से साहस जुटाना कैसे बन पड़े ? न पढ़ने वाले की उत्कंठा हो और न परिवार वाले समर्थन प्रदान करें। ऐसी दशा में शिक्षा देने के लिए जुटाए गए साधन भी कैसे सफल हों ?

इस प्रमुख कठिनाई को उन्हें गंभीरतापूर्वक समझना चाहिए जो नारी जागरण के लिए कुछ करने और कराने की बात सोचते हैं। प्रथम अवरोध का सामना न किया जा सका तो आगे बढ़ सकना कैसे संभव हो सकेगा ?

इसलिए अधिक आवश्यक और प्राथमिकता वाला योग्य प्रयास यही हो सकता है कि इस दिशा में कुछ करने की इच्छा रखने वाले सर्वप्रथम घर परिवारों में जाएँ नारी प्रगति के आरंभिक चरण साक्षरता आंदोलन का महत्त्व समझाएँ। इसके लिए पुरुषों की अपेक्षा परिवारों की नारियों से संपर्क साधना अधिक आवश्यक है क्योंकि उन्हीं में से तो पढ़ने वाली निकलेंगी विरोध या समर्थन उसी समुदाय का काम देगा। यदि पुरुष हों भी कह दें तो उन्हीं का समर्थन कुछ काम दे सकेगा, इसकी आशा नहीं की जा सकती। उन घरों की बात दूसरी है जिनमें पुरुष स्वयं आगे बढ़कर घर की महिलाओं को तर्क और तथ्य के आधार पर अपने परिवार को प्रभावित कर सकते हैं और नारी शिक्षा हेतु सहमति प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ तो पुरुष का दबाव और आग्रह भी काम दे सकता है। पर यह प्रयास भी कदाचित

ही बन पड़े क्योंकि देहाती क्षेत्रों के पुरुष भी शिक्षित कहाँ हैं ? उनसे यदि इसका मतलब समझा जाता तो पड़ोसियों से कुछ सहयोग लेकर स्वयं भी थोड़ा-थोड़ा प्रयत्न करते रहने पर वे शिक्षित बन गए होते। जिन्होंने स्वयं जिस बात का महत्त्व नहीं समझा वे दूसरों को उसकी उपयोगिता समझा सकेंगे और प्रोत्साहन दे सकेंगे इसकी आशा कम ही की जा सकती है।

भूमि को जोतकर उर्वर बनाने के उपरांत उसमें बीज बोने पर अच्छी फसल होने की संभावना बनती है। पहला काम महत्त्व समझाना, सहमत करना है। इसके लिए परिवारों में प्रवेश करके वहाँ के वातावरण को समझाना और महिलाओं में पल रही विभिन्न मान्यताओं के अनुरूप उनका अलग-अलग ढंग से समाधान करना है। इसके लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना पहला काम है।

जहाँ संभव हो वहाँ गाँव-मुहल्ले की महिलाओं को एकत्रित करके किसी आकर्षक कार्यक्रम वाली सभा-गोष्ठियों का आयोजन किया जा सकता है। इसमें क्षेत्रीय भाषा में बोल सकने वाले वक्ताओं को ही अपना उद्देश्य समझा सकने में सफलता मिल सकती है। अनपढ़ स्त्रियाँ शुद्ध हिंदी नहीं समझ पातीं। उनके लिए उनकी क्षेत्रीय बोली ही वह माध्यम हो सकती है, जिसे अपनाकर उनकी उपेक्षा, अन्यमनस्कता, संदेह आपत्ति आदि को समझाते हुए तदनुसार समर्थन प्रस्तुत किया जा सके।

सभाओं, गोष्ठियों की इस प्रयोजन के लिए व्यवस्था की जाए। बहुत बड़ी संख्या में उपस्थिति की आशा न की जाय क्योंकि घर का काम छोड़कर महिलाएँ दूर तक आने-जाने में काम हर्ज होने की बात कहती हैं, जो किसी कदर सही भी है। ऐसी सभा गोष्ठियों का समय ऐसा रखा जाए जो घर के कामों में थोड़े अवकाश का रहता हो। ऐसा समय दोपहर १ से ४ के बीच का ही हो सकता है। उसी में कोई भी महिला विकास का कार्य चलाया जा सकता है। सभा गोष्ठियाँ भी उसी अवधि में सफल होंगी और जब पढ़ने-पढ़ाने का क्रम चलेगा तो भी उसके लिए इन्हीं तीन घण्टों में कुछ करने की योजना बनानी पड़ेगी।

सभा गोष्ठियों में शिक्षा के लाभ और अशिक्षा के दुष्परिणाम तो समझाए जा सकते हैं। पर यह मोटी सर्वजनीन जानकारी हुई। प्रचार की दृष्टि से यह ठीक है, किंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि हर घर की परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं। निजी अभिमत और आग्रह अलग-अलग प्रकार का होता है। यही अवरोध या सहयोग इस प्रयोजन का वास्तविक मोर्चा होता है। इस पर जूझे बिना मात्र सार्वजनिक सभाओं को दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं हो सकती।

सभा गोष्ठियों में तो पुरुष भी बोल सकते हैं। पर घरों में प्रवेश करके महिलाओं की निजी मान्यताओं को झकझोरना और उन्हें उलट-पुलट कर सकना शिक्षित महिलाओं के ही बस की बात है।

शिक्षित परिवारों में से ऐसी शिक्षित महिलाएँ निकलनी चाहिए जो दो-दो की टोलियों में अपने नगर के घरों में प्रवेश करें और वहाँ जाकर नारी प्रगति की आवश्यकता से लेकर उसके शुभारंभ साक्षरता के विस्तार हेतु विचारों का आदान-प्रदान करें। अपनी ही कहते जाना उचित नहीं। दूसरों का भी अभिमत सुनना, समझना चाहिए और उनकी मनःस्थिति एवं परिस्थिति के अनुरूप समाधान प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस मोर्चे पर जीत हो सके तो समझना चाहिए कि सभा गोष्ठी में जो प्रवचन परामर्श दिए गए थे, उनके फलित होने की भूमिका बनी।

पुरुषों का इस संबंध में उत्साह प्रकट करना तो आवश्यक है ही। उन्हीं ने नारी को इस स्थिति में पहुँचाया है। इसलिए अपने समुदाय द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए आगे आना चाहिए। पर स्मरण रहे कि पर्दे के पीछे ही अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अगले मोर्चे पर तो शिक्षित नारियों को ही स्वयं जाना पड़ेगा। वे ही समझाने से लेकर पढ़ाने तक के सभी कार्यों को ठीक तरह संपन्न कर सकती हैं।



शिक्षा संवर्धन की पृष्ठभूमि

लड़की-लड़कों की सहशिक्षा चलने में कोई हर्ज नहीं, विशेषतया प्राथमिक स्तर की शिक्षा में तो कोई अड़चन होनी ही नहीं चाहिए। वयस्क लड़के-लड़कियों के बारे में कुछ सोचा-समझा भी जा सकता है, पर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बालक प्रायः दस-बारह वर्ष के ही होते हैं। इन अबोधों को सहशिक्षा की बनी हुई व्यवस्था से लाभ न उठाने देना अनुचित है।

देहातों में भी प्रायः सभी जगह प्राथमिक स्कूल हैं, वहाँ लड़कों की तरह लड़कियों को भी बिना किसी संकोच के पढ़ने देना चाहिए। आगे की शिक्षा में जहाँ रूढ़िवादिता का बहुत डर है, उन परिवारों को छोड़कर शेष विचारशील वर्ग को माध्यमिक शिक्षा हाईस्कूल तक पढ़ने का क्रम चलाना चाहिए। जहाँ बड़ी आयु में भी आवश्यक सावधानी बरती जा सकती है, वहाँ उसमें भी हीला-हवाला नहीं होना चाहिए।

यों लड़की-लड़कों की शिक्षा की अलग-अलग व्यवस्था भी जहाँ-तहाँ होने लगी है, पर वह सभी जगह उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में लड़कियों को आगे पढ़ने में, आगे बढ़ने से रोकना ठीक नहीं है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, वकालत आदि विषयों में तो लड़की-लड़कों का अलग प्रबंध शायद ही कहीं है। ऐसी दशा में न पढ़ने देने की अपेक्षा पढ़ने देना ही उचित है। उगते भविष्य पर अंकुश लगाने की अपेक्षा यही उचित है कि जो जोखिम वाले पहलू हैं, उन्हें छात्राएँ गंभीरतापूर्वक समझ लें और एकाग्र चित्त से अपनी पढ़ाई में निरत रहें। यदि एक मजबूत हो तो दूसरे पक्ष किसी के गिराने-बहकाने में सफल नहीं हो सकता है। अपने पक्ष की मजबूती को यदि जोखिम से पूर्व ही भली प्रकार समझ लिया और समझा दिया जाए तो फिर चिंता करने जैसी कोई बात नहीं रह जाती। शहरों में तो इस प्रकार की प्रगतिशीलता बरती जा रही है। मात्र देहाती समुदाय का ही एक

वर्ग ऐसा रह जाता है। उसके संबंध में अधिक विचार करने की आवश्यकता पड़ती है।

अभिरुचि का अभाव स्त्री शिक्षा के मार्ग में बड़ी समस्या है। उसे घटाने या मिटाने के लिए शिक्षित पुरुषों को अशिक्षित पुरुषों और शिक्षित स्त्रियों को अशिक्षित स्त्रियों के पास स्वयं जाकर उनसे संपर्क साधना होगा। दोनों ही वर्ग अपने-अपने समुदाय को शिक्षा के महत्त्व को समझाए और अशिक्षित रहने की हानियों से अवगत कराएँ। यह प्रयास बार-बार करने की आवश्यकता है। एक बार के संपर्क से यदि इच्छित उत्तर-समर्थन न मिले तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रयत्न बार-बार जारी रखना चाहिए। असहमति या उपेक्षा को अपना अपमान मानकर निराश हो जाने की आवश्यकता नहीं है। अबोध बालक एक बार कहने पर ही बताए परामर्श का पालन कहाँ करते हैं ? इस कारण उसके 'अभिभावक रूठ कहाँ बैठते हैं ? बार-बार प्रयत्न करते हैं और बिना खीझे, निराश हुए अपना परामर्श देते रहने का क्रम तब तक जारी रखते हैं, जब तक बालक बताए आदेशों का पालन करने का अभ्यस्त नहीं हो जाता। यही नीति अशिक्षितों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्साह उत्पन्न करने तक जारी रखनी चाहिए। बिना आवश्यक उत्कंठा उत्पन्न किए मात्र प्रौढ़ पाठशाला चला देने भर से कुछ काम न चलेगा। चला देने पर भी जब शिक्षार्थी न पहुँचें तो आंदोलन चलाने वाले या अध्यापक क्या करें ? आदिवासी क्षेत्रों में सरकार द्वारा स्थापित पाठशालाओं में यही प्रधान कठिनाई रहती है। नियुक्त अध्यापक आते हैं और हाजिरी रजिस्टर की, खाना-पूरी करने के बाद वापिस चले जाते हैं। प्रौढ़ नर-नारियों के संबंध में भी यही कठिनाई बनी रहेगी। अशिक्षितों को भी वनबासी जातियों की तरह अपनी मान्यता है। वे शिक्षा का महत्त्व नहीं समझते। फिर निरर्थक समझे जाने वाले कार्य में हाथ डालने के लिए तैयार क्यों होंगे। हमें इस मौलिक कठिनाई को समझना चाहिए और मूलभूत अड़चन को दूर करने का संरंजाम जुटाना चाहिए।

शिक्षा प्राप्त करने के लिए अशिक्षितों में से जितनों को तैयार किया जा सके, पहिले उतनों को ही पढ़ाने का प्रबंध आरंभ कर देना चाहिए। यह आशा नहीं करनी चाहिए कि सभी लोग सहमत हो जाएँगे और उत्साह दिखाने लगेंगे। लोगों का स्वभाव अनुकरण का है। जो दूसरों को करते देखते हैं, उसी की नकल करने लगते हैं। बहुमत अल्पमत को प्रभावित करता है। जहाँ अधिक लोग अशिक्षित रहते हैं, वहाँ उसी प्रकार की अभिरुचि बन जाती है। वैसा ही अनेक लोग नए सिरे से बढ़ने की प्रक्रिया आरम्भ करेंगे। फिर उसका प्रचलन भी चल पड़ेगा और जो पहले उपेक्षा दिखाते थे वे ही उत्साह प्रकट करने लगेंगे। तब जिस कार्य के लिए आरम्भ में अधिक प्रयत्न करना पड़ा था वह पीछे सरल हो जायेगा और उस प्रयास में भाग लेने के लिए अनेकों स्वेच्छापूर्वक सम्मिलित होने लगेंगे। आरंभिक दिनों की कठिनाई जिनने पार कर ली, जो प्रथम प्रयास से मिलने वाली असफलता से निराश नहीं हुए समझना चाहिए कि वे आगे चलकर बड़ा काम करने और बड़ी सफलता पाने में समर्थ हो सकेंगे।

अशिक्षितों से किसी प्रकार की फीस मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए। जो जिसका महत्त्व नहीं समझता, वह उनके लिए पैसा क्यों खर्च करेगा ? अतएव इस क्षेत्र में काम करने वाले अध्यापक भी अवैतनिक स्तर के ढूँढने पड़ेंगे, चंदा माँग कर वेतन जुटाना एक तरीका तो है, पर देश जैसी आर्थिक स्थिति में है, उसे देखते हुए यह आशा पूरी न हो सकेगी कि वेतन भोगी अध्यापकों की निरक्षरता निवारण क्षेत्र में नियुक्ति की जा सके। इसके लिए ऐसे लोग ढूँढने होंगे, जो शिक्षित होने के साथ उदारचेत्ता भी हों। जो अशिक्षा निवारण को देश की महती सेवा-साधना अनुभव करें और उसका पुण्य अर्जित करने के निमित्त सहज उत्साह प्रकट करें।

प्रौढ़ पाठशाला किसी एक जगह बड़ी संख्या में चल सकें इसकी आशा फिलहाल कम ही है। क्योंकि जहाँ शिक्षा का महत्त्व ही नहीं समझाया जा रहा है उसको उपयोगी एवं लाभप्रद नहीं माना जा रहा है। अशिक्षित समुदाय यदि इस कमी का अनुभव करता और

उसे पूरी करने के लिए उत्साह प्रकट करता है तो प्रौढ़ पाठशालाएँ इससे पूर्व भी कितनी ही चल-पड़ी होतीं और वे अपना लक्ष्य तक पूरा कर चुकी होतीं। सरकार इस मद में हर वर्ष विपुल धनराशि खर्च करती है। पर उसका वह परिणाम कहीं दीख पड़ता है, जो इतना करने पर संभव हो गया होता।

जिन देशों में शिक्षा के प्रति उत्कंठा जाग गई है। वहाँ कार्य संलग्न बड़ी आयु के व्यक्ति भी आजीविका उपार्जन के उपरांत बचा हुआ समय अपनी अभिरुचि का विषय पढ़ाने वाली उन शिक्षण कक्षाओं में चले जाते हैं। जो ऐसे ही लोगों के लिए अवकाश के समय में लगती हैं। उनके द्वारा लाखों कार्य व्यस्त लोग अपने विषय की ऊँची शिक्षायें प्राप्त करते हैं। कुछ ही दिनों में अपने विषय के प्रवीण पारंगत बन जाते हैं। यह प्रचलन अधिकांश सुविकसित देशों में है। बचपन में जिन्हें उच्चस्तरीय शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला है वे आगे चलकर अपने उत्साह के बलबूते उस कमी को पूरा कर लेते हैं।

यह स्थिति अपने यहाँ भी बन पड़ी होती यदि तीन-चौथाई अशिक्षित समुदाय को किसी प्रकार इस विषय की उत्कंठा जाग पड़ी होती और वे उसके लिए उत्सुकता प्रकट करते, समय निकालते, उपाय खोजते और सहयोग पाने के लिए उत्सुकता प्रकट करते। पर अभाव तो इसी का है। अवरोध तो सबसे बड़ा इसी का है। इसलिए अनेकानेक अवरोध कार्य में खड़े होते हैं। विद्या का महत्त्व समझा गया होता तो जिस प्रकार पीड़ित, पिछड़े, दुर्दशाग्रस्त पड़ोसी की सहायता करने के लिए अनेकों उदारचेत्ता दौड़ पड़ते हैं उसी प्रकार शिक्षित भी विद्या ऋण चुकाने के लिए कुछ न कुछ समय नियमित रूप से विद्या दान के लिए निकालते रहते तो अशिक्षितों को शिक्षित बनाने की आवश्यकता सहज ही पूरी हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में अवैतनिक प्रौढ़ शिक्षा अध्यापक मिल जाते हैं। वे अपने समीपवर्ती अशिक्षितों को पढ़ाने के लिए वैसा ही ध्यान रखते जैसा कि अपने निजी परिवार वालों का ध्यान रखा जाता है। क्यूबा में कालेज छात्रों को डिग्री तब मिलती है जब वे पाँच निरक्षरों को साक्षर बना दें।

तभी उन्हें प्रमाण-पत्र दिया जाता है। यही बात यदि अपने देश में भी रहे, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वालों को यदि पाँच निरक्षरों को साक्षर बना देने का प्रमाण-पत्र भी नत्थी करना पड़े तो शिक्षा संवर्धन की समस्या का सहज ही एक बड़ा समाधान निकल सकता है।

वस्तुतः इस संबंध में कुछ ठोस चिंतन हुआ ही नहीं है। कोई ठोस योजना बनी ही नहीं है, कोई ठोस कदम उठा ही नहीं है। यदि इस समस्या को गंभीरतापूर्वक लिया गया होता तो उसके कोई ठोस परिणाम निकलते। पिछले दिनों होती रही भूलों को अब आगे और नहीं दुहराया जाना चाहिए। शिक्षित पुरुषों और शिक्षित नारियों को इस कार्य का सर्वोपरि महत्त्व समझते हुए इस संदर्भ में कटिबद्ध होना चाहिए कि देश से निरक्षरता को मिटाकर रहा जाएगा। चूँकि स्थिति महिलाओं की अधिक गई-गुजरी है। इस दिशा में अधिक प्रयास शिक्षित महिलाओं को ही करना है। अग्रिम मोर्चे पर उन्हें ही खड़ा होना है।

जिस प्रकार अशिक्षितों ने शिक्षा का महत्त्व नहीं समझा और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयत्न नहीं किया, उसी प्रकार यह भी सच है कि शिक्षित वर्ग ने यह अनुभव नहीं किया कि अशिक्षितों को उनकी प्रस्तुत दुर्गति से उबारने में उनको भी कुछ करना है। अशिक्षित किसी प्रकार पेट भरते रहने में ही संतुष्ट रहे, उनके मन में यह अनुभूति ही नहीं हुई कि सभ्य समाज में प्रवेश करने और सुविकसित स्तर का जीवन जीने के लिए शिक्षा का अवलंबन लिए बिना किसी प्रकार भी गाड़ी आगे नहीं चल सकती। वे इस तथ्य को समझते नहीं, तो शिक्षितों का कर्तव्य है कि समझ बढ़ाने के जितने भी उपाय हो सकते हैं उन सबको अपनाते हुए उस वर्ग से संपर्क बढ़ाएँ और इच्छा जागृत करने के लिए सामर्थ्य भर प्रयत्न करें। इस कार्य को सबसे महत्त्वपूर्ण रचनात्मक कार्य मानें। इसे लोक और परलोक में उपभयपक्षी सुख-शांति उत्पन्न करने वाला उच्चस्तरीय पुण्य परमार्थ समझें।

इस दिशा में किए गए प्रयत्नों के उपरांत उस व्यवस्था की बारी आती है, जिसके अनुसार उस व्यवस्था को जुटाने की प्रक्रिया हाथ में लेनी चाहिए, जिसे प्रौढ पाठशाला कहा जाता है। वह दृश्यमान सरंजाम तो किसी प्रकार जुट जाता है, पर मूल समस्या बनी रहने तक उसमें अभीष्ट उपलब्धि नहीं होती। हमें शिक्षार्थियों में उत्कंठा और शिक्षितों में उदारसेवा-भावना उत्पन्न करने की प्रथम आवश्यकता को समझना चाहिए।



नारी शिक्षा का गतिचक्र इस प्रकार घूमे

एक व्यक्ति की पत्नी थी तो बड़ी प्रतिभावान, पर साथ ही वह दुराग्रही भी थी। पति उसे पढ़ने के लिए समझाता तो वह दो टूक मना कर देती। अपना वर्चस्व तो इसी बात में समझती थी कि उसकी प्रमुखता रहे, उसे भी कुछ समझा जाय।

पति उस अशिक्षित को पढ़ाना चाहता था, वह तैयार नहीं होती थी। इस पर उसने घुमावदार तरीका सोचा और आजमाया। बोला—‘तुम तो निरी मूर्ख हो, पढ़ना तुम्हें क्या आएगा।?’ उसने कहा—‘क्यों नहीं आएगा ? मैं क्या किसी से कम हूँ ?’

पति ने कहा—‘अच्छा शर्त रहा। तुम एक अक्षर याद कर लोगी तो एक चवत्री इनाम दूँगा।’ बात पक्की हो गई। पहले ही दिन उसने पाँच अक्षर याद कर लिए और सवा रुपया वसूल कर लिया।

पाँच अक्षर रोज याद करने का सिलसिला चल पड़ा। पत्नी को सवा रुपया रोज की आमदनी होने लगी साथ ही उसकी प्रशंसा भी होने लगी। एक महीने में अक्षर मात्रा सभी याद हो गई। कुछ दिन में किताब पढ़ना और कापी पर लिखना भी आ गया।

महीना पूरा हुआ तो पति का वेतन पहले ही उसके हाथ में पहुँच चुका था। खर्च के लिए नई राशि कहाँ से आए ? पत्नी की

कमाई से ही खर्च चला। अंत में वह भी समझ गई कि यह पढ़ने का चस्का लगाने की तरकीब भर थी। इतने से ही उसे पढ़ने में रस आने लगा और आगे चलकर वह सुशिक्षित महिलाओं के स्तर तक पहुँच गई।

साक्षरता प्रसार के लिए इस नीति का भी अवलंबन लिया जा सकता है। उसके साथ ऐसे गृह उद्योग जोड़ सकते हैं जिनके सहारे पढ़ने वाली कुछ कमाने भी लगे। इससे उन्हें तथा घर वालों को प्रसन्नता होती है कि कुछ कमाई होने लगी, घर वालों को लाभ मिलने लगा। शिक्षा के साथ यदि स्वावलंबन की बात जोड़ दी जाय तो इसे सोने के साथ सुगंध मिलना कहा जा सकता है।

सिलाई उद्योग ऐसा है जिसकी हर घर में सदा-सर्वदा आवश्यकता रहती है। कोट-पैट जैसे बड़े कपड़े तो बहुत दिन में आते हैं, पर बच्चों के, महिलाओं के रोजमर्रा काम आने वाले कपड़े आसानी से सीखे जा सकते हैं। तकियों के, लिहाफों के खोल भी घर पर सिल सकते हैं। फटे कपड़े की मरम्मत की विधि सीखी जा सकती है। फटे-पुराने कपड़ों को काटकर उनसे छोटे बच्चों के काम की चीजें निकल सकती हैं, रूमाल आदि बन सकते हैं।

सिलाई के अतिरिक्त और भी अति सरल उद्योग हैं जिनके लिए ग्राहक जुटाने की, माल खपाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे उद्योग में घरेलू शाक वाटिका का महत्त्वपूर्ण स्थान है। आँगनवाड़ी, छत बाड़ी, छप्पर बाड़ी के रूप में मौसमी शाक-भाजियाँ उगाई जा सकती हैं, इससे ताजी-अच्छी और बिना मूल्य की सब्जियाँ हमेशा मिलती रहने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और तरकारियाँ खरीदने में आए दिन खर्च होते रहने वाला ढेरों पैसा खर्च होने से बचता है। इसके लिए बीज, पौध जुटाने आवश्यक साधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था महिला प्रौढ़ पाठशाला को ही करनी चाहिए। सिलाई की मशीन तथा उसका उपयोग सिखाने वाले सिलाई अध्यापक की भी। इसी प्रकार शाक-भाजियों को उगाने की विधि, सावधानी, मौसम के अनुसार चयन की भी सारी विधि-व्यवस्था शिक्षार्थियों को सिखाई जानी चाहिए।

साबुन बनाने का उद्योग भी ऐसा है जो घरेलू उपयोग की वस्तुओं में सम्मिलित माना जाता है। साबुन-पाउडर भी खूब प्रयोग होता है। इन्हें घर पर बनाने लग जाया जाए तो बाजार की तुलना में अच्छी वस्तु भी मिलेगी और कीमत के हिसाब से सस्ती भी पड़ेगी।

टूट-फूट की मरम्मत, घरों की पुताई, किवाड़ों की रंगाई, फर्नीचर पर पालिस, चारपाई बुनना, टूटे बर्तनों बक्सों, स्टोवों की मरम्मत कर लेना भी ऐसा काम है जिससे पुरानी वस्तुएँ फेंकनी नहीं पड़तीं वरन् वे थोड़े-से श्रम और पैसे में ही नई हो जाती हैं और दूनी जिंदगी जीती हैं।

यह सभी वस्तुएँ ऐसी हैं जिनके लिए बेचने कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़ता। ग्राहकों की तलाश नहीं करनी पड़ती, पर यदि स्थानीय सुविधा ऐसी हो जिसमें सामान्य कुशलता से बनी हुई वस्तुएँ भी बाजार में खप सकें तो उसका प्रबन्ध भी किया जा सकता है। मुख्य बात खपत की है, नौसिखिये हाथों में उतनी सफाई की तथा सुन्दर वस्तुएँ नहीं बन सकतीं। उनमें कुछ तो कमी रहती है—यह ध्यान में रखते हुए ही अन्य उद्योगों को हाथ में लेना चाहिए। आरम्भ करने से पहले उसकी खपत वाले पहलू को भली प्रकार समझ लेना चाहिए अन्यथा अच्छा माल न होने तक, मार्केट न मिलने पर वे बनाने वाले के पल्ले ही बँधती है या व्यवस्था करने वालों को वह झंझट अपने सिर पर लेना पड़ता है। अच्छा यही है कि घर में काम आती रहने वाली वस्तुएँ ही बनाई जाएँ और प्रौढ़ शिक्षा के साथ महिलाओं का आकर्षण जोड़ने के लिए सरल कार्य हाथ में लिए जाएँ। यदि अभिरुचि बढ़ने लगी तो फिर घरेलू उद्योग के रूप में अन्य वस्तुएँ भी हाथ ली जा सकती हैं।

संगीत भी अच्छे किस्म का मनोरंजन है। ताल-वाद्य सीखने-सिखाने में कोई विशेष कठिनाई न होती। हारमोनियम जैसे स्वर वाद्य एवं सितार-बँजों जैसे तार वाद्य अपेक्षाकृत अधिक समय साध्य और श्रमसाध्य हैं।

मूलभूत समस्या शिक्षा संवर्धन की है, वह विषय रूखा लगता है। बड़ी आयु हो जाने पर बच्चों जैसी पढ़ाई आरंभ करने में संकोच भी लगता है, तात्कालिक लाभ भी नहीं मिलता। सामान्य शिक्षा प्राप्त करने मात्र से किसी बड़ी नौकरी आदि की संभावना नहीं रहती। ऐसी दशा में उसमें मन न लगने की कठिनाई सहज रहती है। परिवार का सच्चा समर्थन न मिलने से भी उत्साह के जल्दी ठंडा हो जाने में भी देर नहीं लगती। इन्हीं कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह सोचा जाना चाहिए कि उसे आकर्षक कैसे बनाया जाए। पढ़ने वाले को ऐसा लगने लगे कि उसका कुछ लाभ तत्काल भी मिल सकता है। यह वैसा ही प्रलोभन है जैसा इस लेख के प्रारंभ में दिए गए उस उदाहरण में मिलता है जिसमें पति ने पैसे देकर पत्नी को पढ़ने का चस्का लगाया था, पर यह हर हालत में आवश्यक नहीं। जहाँ समझदारी मौजूद है, जिन्हें शिक्षा का दूरगामी महत्त्व तर्कों, तथ्यों, उदाहरणों और प्रमाणों के आधार पर भली प्रकार समझाया गया है वहाँ ऐसे प्रलोभनों-आकर्षणों को जुटाने की विशेष आवश्यकता भी नहीं है।

सुविधा तो इसमें है कि एक स्थान पर अनेक महिलाएँ एकत्रित हों और एक अध्यापक द्वारा २५-३० को आसानी से पढ़ाया जाता रहे, पर इसमें एक व्यावहारिक कठिनाई यह है कि यदि सघन आबादी नहीं है तो अधिक दूर तक जाने-आने में महिलाओं को असुविधा होती है। समय भी बहुत लगता है, घर वाले दूर जाने की छूट भी नहीं देते—यह कठिनाई देहातों में विशेष रूप से है। शहर-कस्बों में तो उतना शंका-शंक्ति मानस भी नहीं होता। सवारियाँ भी मिल जाती हैं और आवागमन भी निरापद होता है, पर देहातों की समस्या अपेक्षाकृत जटिल है—वहाँ बड़ी संख्या में एक स्थान पर अधिक संख्या में महिलायें एकत्रित हो सकें—इसकी आशा कम ही है।

इस अड़चन का समाधान एक यह भी है कि महिलाओं की सुविधा वाले १ से ४ तक के समय में एक-एक घंटे की तीन छोटी-छोटी पाठशालाएँ चलाई जाएँ, उनमें दस-दस महिलाएँ भी आने

लगे तो एक ही अध्यापक तीन जगहों में मिलाकर ३० को पढ़ा सकता है।

इस प्रयोजन के लिए शिक्षित महिलाएँ ही अधिक सफल हो सकती हैं। जिनके घरों में शिक्षित महिलाएँ हैं उनका यह दायित्व विशेष रूप से है कि नारी उत्कर्ष के काम में अपना बड़-चढ़कर सहयोग प्रस्तुत करें। शिक्षित महिलाएँ घरेलू काम-काज की तरह अपनी एक जिम्मेदारी यह भी समझें कि हमें अपने समुदाय को ऊँचा उठाने, आगे बढ़ाने के लिए कुछ परमार्थ कार्य भी करना है और वह शिक्षा-संवर्धन से ही शुरू किया जा सकता है। ऐसे परिवारों के पुरुषों का भी कर्तव्य है कि वे शिक्षित महिलाओं को घर के काम-काज तक ही सीमित न करें वरन् उन्हें लोकमंगल के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें, साथ ही ऐसी व्यवस्था भी बनाएँ कि उन्हें इस परमार्थ प्रयोजन के लिए अवकाश भी मिल सके। इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा नारी को संदेह की दृष्टि से देखा जाना और उसे घर से बाहर निकलने देने में कई प्रकार की आशंकाएँ-कुकल्पनाएँ करना भी है। इस अवरोध को पार करने में ही सब की सब प्रकार भलाई है।

महिला शिक्षा के लिए विशेषतया देहाती क्षेत्र में वेतन पर अध्यापक नहीं रखे जा सकते, उनकी अवैतनिक सेवाएँ ही मिलनी चाहिए। जो वर्ग पढ़ने तक के लिए तैयार नहीं हो रहा है वह फीस देकर पढ़ेगा—इसकी आशा तो नहीं ही करनी चाहिए।

गृहस्थ महिलाओं को अध्यापन के लिए ढूँढ़ने के अतिरिक्त एक तलाश यह भी करनी चाहिए कि वहाँ रिटायर्ड स्तर की शिक्षित महिलाएँ या वयोवृद्ध पुरुष मिल सकते हैं। युवा पुरुषों से पढ़ने में महिलाओं को संकोच पड़ता है, पर यदि वृद्ध पुरुष पढ़ाते हैं तो समस्या उसी प्रकार हल हो जाती है जैसे कि युवा शिक्षित नारियों द्वारा पढ़ाया जाना निरापद माना जाता है।

यों नर और नारी रेल में, बस में साथ-साथ सफर करते हैं। प्लेटफार्मों पर बैठते हैं, घाटों पर नहाते हैं, मेलों में, हाट-बाजार में फिरते हैं—इसमें कोई अनर्थ नहीं माना जाता, फिर जहाँ अनेक

महिलाएँ साथ-साथ पढ़ने के लिए बैठी हुई हैं वहाँ यदि कोई युवा व्यक्ति भी पढ़ाने लगे तो इसमें क्या-पहाड़ टूटता है ? घर में भी तो एक साथ युवा नर-नारी विभिन्न रिश्तों में एक ही जगह रहते हैं, फिर यदि पढ़ाने का कार्य पुरुष करने लगे तो इसमें कोई ऐसा कारण नहीं जिसकी वजह से शिक्षा प्राप्ति जैसे कार्य में अवरोध पड़ने दिया जाए। जब एक कथावाचक युवा होते हुए भी कथा वाँच सकता है और सभी बाल-वृद्ध, नर-नारी सभी आयु के सुनते हैं, फिर यदि पुरुष पढ़ाने लगे तो इसमें क्यों आपत्ति और आशंका की जानी चाहिए।

अस्पताल में डॉक्टर पुरुष भी होते हैं और महिला रोगी भी उनसे इलाज कराती हैं। दुकानदार भी पुरुष होते हैं और महिलाएँ उनसे सौदा खरीदती हैं। जब हर क्षेत्र में नर-नारी मिल-जुलकर काम कर रहे हैं तो पढ़ने-पढ़ाने में भी क्यों अड़चन पड़नी चाहिए। फिर भी प्रयत्न यही करना चाहिए कि जहाँ तक संभव हो महिला-शिक्षा के लिए शिक्षित महिलाएँ या वयोवृद्ध पुरुष मिल सकें।



अभ्युदय की आकांक्षा जग पड़े

महिला पुनरुत्थान के लिए कई चरण उठाने होंगे, इनमें से साक्षरता को इसलिए प्राथमिकता दी गई है कि उसे अपनी हीन दशा पर विचार करने और भविष्य में आगे बढ़ने की उत्कंठा जगती है। इतना बन पढ़ने के उपरांत प्रगति के और भी कई द्वार खुलते हैं।

नारी नर की दृष्टि में अनुत्पादक है, इसलिए उसे दबा-कर-दबोचकर रखा जाता है। दासियों की तरह उसे बँधुआ मजदूर माना जाता है। पशुओं की तरह उसकी क्षमताओं का दोहन भर किया जाता है। बदले में पेट भर रोटी और तन ढकने का कपड़ा मिलता रहे—इतना ही पर्याप्त समझा जाता है। आर्थिक क्षेत्र का

प्रत्यक्ष उत्पादन ही वह कमाई मानी जाती है जो बाहर से कमाकर घर में लाई जाती है। जो घर में किया या बनाया जाता है उसे कमाई में नहीं गिना जाता, इसीलिए नारी को अनुत्पादक मानकर उसकी अवज्ञा-अवहेलना की जाती है जबकि बात इससे ठीक उल्टी है। इसका पता तब चले जब घर की चौकीदारी करने के लिए स्वतंत्र कर्मचारी रखना पड़े। भोजन पकाने के लिए रसोइये की नियुक्ति करनी पड़े। सफाई करने, कपड़े धोने की अलग से व्यवस्था करनी पड़े। हारी-बीमारी के लिए परिचायक ढूँढ़ना पड़े तब दाल-आटे का भाव मालूम पड़े कि स्त्रियों से कुछ बचत होती है या नहीं।

फिर उस मूल्य को तो हीरे-मोतियों से भी नहीं तोला जा सकता, जो वह पुत्री, भगिनी, पत्नी और माता के रूप में आजीवन प्रदान करती रहती है। वंश चलाने में उसी को असीम कष्ट सहने एवं वयस्क बनाने तक उन्हीं की सेवा-साधना में लगी रहती है—इसका बदला कौन चुकाए ? कैसे चुकाए ? इतने पर भी यह तथ्य यथावत् है कि उसकी गरिमा को देवी जैसी मान्यता मिलती रही है। उसके उपकार के प्रति कृतज्ञ रहने और श्रद्धासिक्त सम्मान करते रहने की भारतीय संस्कृति में सनातन परंपरा है।

इसे समय की विडंबना ही कहा जाना चाहिए कि आज उसी नारी को दूसरे दर्जे के नागरिक का दर्जा दिया गया है। उसे पग-पग पर पददलित करने और अविश्वस्त ठहराने का उपक्रम चल पड़ा है। लड़कों का जन्म सौभाग्य और लड़की घर में आना दुर्भाग्य का चिन्ह माना जाता है। दोनों के पालन-पोषण में दुलार-सम्मान में भारी अंतर रखा जाता है। लड़कों को ऊँची शिक्षा दिलाई जाती है जबकि लड़कियों को मामूली पढ़ने-लिखने जैसी सुविधा भी कठिनाई से ही मिलती है, उन्हें आजीवन घर के पिंजड़े में ही पक्षी की तरह कैद रहना पड़ता है। कितने ही समुदायों में तो उन्हें पर्दे में मुँह ढके रहने के लिए भी विवश किया जाता है। घर से बाहर जरूरी काम के लिए भी अकेली नहीं जा सकती। विवाह के समय पिता के परिवार को अपनी पूँजी बारात, धूम-धाम एवं देन-दहेज आदि में स्वाह कर देनी पड़ती है। सभी जानते हैं कि खर्चीली शादियाँ समाज को दरिद्र एवं

बेईमान बनाती हैं। विधवाओं की जो दुर्दशा होती है उससे हर कोई परिचित है।

इन परिस्थितियों को बदला जाना नितांत आवश्यक है अन्यथा आधी मनुष्य जाति अर्धांग-पक्षाघात पीड़ित की तरह ही बनी रहेगी। उसका भार पुरुष को इस प्रकार वहन करना पड़ेगा मानो उसके गले में भारी पत्थर लटका हो—यह सब पुरुष की अहमन्यता और स्वार्थपरता के कारण हुआ है, इसलिए उसी का प्रथम कर्तव्य बनता है कि अपने पाप का प्रायश्चित्त करे और नारी पुनरुत्थान के आंदोलन में अग्रगामी भूमिका निवाहते हुए भागीदार बने। अपने समुदाय द्वारा बरती गई अनीति की क्षति पूर्ति के लिए जो अधिक से अधिक बन पड़े उसके लिए किसी प्रकार की कंजूसी-अनुदारता नहीं बरतनी चाहिए।

नारी उत्थान के लिए कहा जा चुका है कि उनमें प्रगति की उमंग पैदा करने का काम शिक्षा-संवर्धन से किया जाए। जो बिना पढ़ी हैं उन्हें पढ़ाया जाए, जो पढ़ी हैं उन्हें अधिक पढ़ने की सुविधा दी जाए। जो पढ़ चुकी हैं उन्हें सेवा क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर दिया जाए। जन सेवा में नारी शिक्षा का व्यापक क्षेत्र ऐसा है जिसमें प्रत्येक शिक्षित नारी को दिलचस्पी लेना चाहिए। वे चाहें तो इसके लिए कुछ न कुछ समय निश्चित रूप से निकाल सकती हैं और ऐसा वातावरण बना सकती हैं जिससे इस संदर्भ में जागृति की एक नई लहर उमड़ पड़े। शिक्षा के साथ ठीक जुड़ा हुआ स्वावलंबन है जो कुटीर उद्योगों के माध्यम से नारी का उत्साह और साहस बढ़ाने में अतीव सहायक सिद्ध हो सकता है।

प्रश्न यह नहीं कि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है या नहीं। संपन्न घरों में शायद महिलाओं को अर्थ उपार्जन की आवश्यकता न पड़े, पर उन्हें कौशल बढ़ाने की, अपनी सृजनात्मक शक्तियों को विकसित करने की आवश्यकता तो है—उनके प्रयास का अन्य परिवारों से अनुकरण होने लगेगा, उस दिशा में बढ़ती प्रवृत्ति से एक नया प्रगति द्वार खुलेगा। इस दृष्टि से भी उन्हें स्वावलंबन आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए और अपने समय का श्रेष्ठ उपयोग करने

के लिए, परिवारों में अन्यो के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इसे करना ही चाहिए।

निर्धन परिवारों में तो इसकी निश्चित रूप से आवश्यकता है। सिलाई, घरेलू शाक वाटिका जैसे उद्योगों के माध्यम से वे परिवार की आय बढ़ा सकती हैं, साथ ही यह आत्म विश्वास भी बढ़ा सकती हैं कि वे आड़े समय में अपने पैरों पर खड़ी होकर पेट भी भर सकती हैं। किसी के आगे नाक रगड़ने-गिड़गिड़ाने की लानत से बच भी सकती हैं। यदि बचत करने वाले कामों को कमाई में नहीं गिना जाता तो यह सिद्ध करने की भी आवश्यकता है कि नारी घर-परिवार में दुकान-व्यवसाय या नौकरी से भी बढ़कर उत्तरदायित्व सँभालने पर भी गृह उद्योगों के माध्यम से कुछ प्रत्यक्ष कमाई भी कर सकती है। सरकारी नौकरी करने जितना उपार्जन न किया जा सके तो यह हो सकता है कि हर नारी स्वावलंबन के संबंध में घर की आजीविका बढ़ाने के संबंध में कुछ तो कर ही सकती है।

तीसरा चरण है कि नारी की वर्तमान मनःस्थिति का परिमार्जन-परिशोधन अंतर्मन उसके अंतर्मन में आत्महीनता की ग्रंथि पीढ़ियों से जम गई है, वह स्वयं अपने को हीन, असमर्थ, दीन-दुर्बल, पराधीन, दुर्भाग्य की मारी हुई मान बैठी है। इस मान्यता के रहते न कोई बड़ा सुधार हो सकेगा और न बड़ा परिवर्तन। स्थिति बदलने के लिए बाहर से थोपे गए उपाय उतने कारगर नहीं हो सकते जितने कि पीड़ित पक्ष के तनकर खड़े हो जाने पर संभव होता है, इसलिए न केवल शिक्षा की वरन् उत्कर्ष का इस स्तर तक उभार होना चाहिए कि उसे चरण दासी बने रहने की स्थिति स्वीकार नहीं वरन् वह पुरुष पर शासन करने की स्थिति तक पहुँचकर रहेगी और दबाव से नहीं वरन् स्वेच्छा से उसे सद्भाव भरा सहयोग प्रदान करेगी। माता के रूप में वह संतान का पोषण भी करती है और मार्गदर्शन भी। पत्नी के रूप में वह पति को सघन आत्मीयता का अमृत भी पिलाती है, साथ ही उच्छृंखलता न बरतने वाला अंकुश भी लगाती है। भगिनी और पुत्री दबाव तो उतना नहीं दे पाती, पर अपने भाव भरे संवेदन द्वारा भाई या पिता को मर्यादा में रहने के लिए

प्रकारांतर से बाधित अवश्य करती है। यह शाश्वत समर्थता अब तक इन दिनों प्रयुक्त हो नहीं पा रही है, अब उसे अपनी सत्ता और महत्ता का आत्मबोध स्वयं प्राप्त करना है साथ ही यह भी सोचना है कि अब की अपेक्षा भविष्य में किस प्रकार अच्छी स्थिति तक पहुँचना संभव हो सकता है—यह चिंतन हर किसी पिछड़ी स्थिति वाले के मन में उठना चाहिए, भले ही उसे असंतोष भड़कना ही क्यों न कहा जाए। यह हर मनुष्य का ईश्वर प्रदत्त अधिकार है कि वह अपने उज्ज्वल भविष्य की कल्पना और चेष्टा करे। यह मानसिकता हर किसी की रहनी चाहिए अन्यथा प्रगति का पथ ही रुक जाएगा और लोग यथास्थिति में संतोष करके समय गुजारने की बात सोचते रहेंगे, जबकि होना यह चाहिए कि अपनी प्रगति के साथ समस्त संसार का अभ्युदय जुड़ा होने की बात सोचकर उत्कर्ष वाली योजनाओं का ताना-बाना बुनते रहा जाए—यह बात स्त्री समुदाय पर तो विशेष रूप से लागू होती है।

जब अपने प्रयत्न में चल पड़ते हैं तो उसकी सहायता दूसरे भी करते हैं। यहाँ तक कि पुरुषार्थी की सहायता ईश्वर भी करता है। प्रसव पीड़ा का प्रमुख कारण है—भ्रूण का परिपक्व होने की स्थिति में उस जेलखाने से बाहर निकलने के लिए व्यग्रता प्रकट करना। यदि ऐसी स्थिति न आने पाए तो दुर्बल भ्रूण पेट में ही पड़ा रहेगा और सड़कर मर जाएगा। प्रसव द्वार तब खुलता है जब भ्रूण भीतर से छटपटाने पर उतारू हो जाता है। जननी की मांसपेशियाँ भी इसी स्थिति के अनुरूप फैलना आरंभ करती हैं और भ्रूण की इच्छा पूर्ति में सहायक होती है। दाइयाँ भी अपने ढंग से इस कार्य में सहायक होती हैं। पक्षियों के अंडे भी इसी आधार पर फूटते हैं और भीतर भरे पदार्थ बाहर आकर चूजे के रूप में विचरण करते हैं।

नारी उत्कर्ष के लिए बाहर के लोगों की सहायता करना, सामान जुटाना उचित है किन्तु साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पीड़ित पक्ष में अभ्युदय की उत्कंठा जगे बिना अभीप्सा की पूर्ति संभव नहीं। ऊपरी प्रयास तो ऐसे ही हैं जैसे किसी दुर्बल जर्जर शरीर के ऊपर रुई का लबादा लपेट लेना। उससे दृश्य तो अभ्युदय

जैसा दीख पड़ सकता है किन्तु यह सम्भव नहीं कि अन्यान्य लोग ही इस समस्या का समाधान कर दें। यहाँ तक कि समर्थ एवं संपन्न समझी जाने वाली सरकार भी साधन ही जुटा सकती है, प्रबल उत्कंठा उत्पन्न कर सकना उसके बलबूते की बात नहीं है। आदिवासी क्षेत्र में इस प्रयास का परीक्षण भली भाँति किया जा चुका है। उस वर्ग की निजी उत्कंठा अभीष्ट मात्रा में न जग सकी तो बाहरी प्रयास मात्र उपचार बनकर रह गए। गाड़िया लुहारों के बारे में भी यही हुआ, उनका यायावर जीवन अनुपयुक्त समझा गया। सरकार ने उनके निवास-पुनर्वास की व्यवस्था की, फिर भी वे कुछ दिन आवासों में रहे और इसके बाद फिर उस सुविधा को छोड़-छाड़कर उसी पुरानी यायावर पद्धति पर उतर आए। लोहा पीटने और गाड़ियों में जिन्दगी बिताने का पुराना ढर्रा अपनाने के लिए निकल भगे।

यह उदाहरण हर क्षेत्र पर लागू होता है। भाग्यवाद और संतोष अपनी मान्यताओं में जड़ जमाकर बैठ गया है। यथास्थिति में काम चलाते रहने किसी प्रकार गाड़ी धकेलते रहने की मान्यता पिछड़ेपन की जड़ें मजबूत करती रहती हैं। वर्गों के साथ-साथ महिला जागरण और अभ्युदय का भी यह मूलमंत्र होना चाहिए। विचारशीलों-समाजसेवियों को यही प्रयास प्रथम चरण के रूप में अपनाना होगा साथ ही हर किसी में विशेषतया नारी वर्ग जैसे समुदायों में तो अभ्युदय की प्रबल उत्कंठा जागनी ही चाहिए।



कुरीति निवारण का मोर्चा

पानी वहाँ भरता है, जहाँ गड्ढा होता है। कुरीतियाँ, मूढ़-मान्यताएँ अंधविश्वास का कीचड़ भी प्रायः उन्हीं क्षेत्रों में जमता है, जहाँ भूमि समतल होने की अपेक्षा खार-खंदक वाली होती है, दल-दल वहाँ बनता है। कुरीतियों के संबंध में भी यही बात है। सभी जानते हैं कि आर्थिक पिछड़ेपन की तुलना में बौद्धिक पिछड़ेपन ने

व्यक्ति और समाज को कितना आहत किया है। आर्थिक क्षेत्र में जितनी दुर्दशा इन दिनों दीख-पड़ रही है उनमें कुरीतियों का बहुत बड़ा हाथ है। इसी प्रकार सामाजिक विघटन में भी इन मूढ़-मान्यताओं का बहुत बड़ा हाथ है। इनसे ग्रसित यों तो पुरुष भी पाए जाते हैं, पर वे बाहरी संपर्क में रहने से दूसरों का प्रभाव भी ग्रहण करते हैं। विचारशीलता का भी प्रयोग करते हैं। फलतः कुरीतियों में फँसे रहते हुए भी उनके प्रति न तो कट्टर होते हैं और न विश्वासपूर्वक उनका समर्थन ही करते हैं किंतु महिलाओं की—विशेषतया अशिक्षित महिलाओं की स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है। वे मूढ़-मान्यताओं को ही, धर्म शास्त्र और परंपराओं को ही पूर्वजों की परिपाटी मानती हैं। अधिकांश की यही स्थिति है। उस समुदाय में प्रगतिशीलों और विचारशीलों की संख्या कम ही मिलती है। यहाँ तक कि शिक्षिताएँ भी इन रूढ़िवादियों के बहुमत के सामने अपने मस्तक झुका देती हैं। न तो डटकर विरोध कर पाती हैं, न समझाने-बुझाने का उपक्रम अपनाकर उन्हें यथार्थता, अभ्यर्थता का वास्तविक बोध कराती हैं। विरोध करने पर उतारू होना तो और भी अधिक साहस का काम है। इसके लिए तो उनका मानस बन ही नहीं पाता। कौन झंझट में पड़े ? कौन बुराई मोल ले ? आदि बातें सोचकर वे प्रतिभावान नर-नारी भी चुप ही बैठते हैं, जो यदि चाहते तो विचार-क्रांति की दृष्टि से बहुत कुछ कर सकने में समर्थ हो सकते थे।

हल्की कुरीतियों में भाग्यवाद का विष ऐसा है जो प्रगति के लिए, सुधार के लिए कुछ भी करने से रोकता है। जो भाग्य में, जन्म कुंडली में लिखा है वह होकर रहेगा। हाथ की रेखाएँ मिटती नहीं। जो होना है, उसे विधाता पहले ही रच देता है आदि मान्यताएँ मनुष्य को उज्ज्वल भविष्य के प्रयत्न करने, योजनाएँ बनाने से रोकती हैं। यथास्थिति बनाए रखने के लिए आलसी बनाती हैं। कई बार तो किसी भविष्य वक्ता द्वारा अशुभ, अनिष्ट बता दिए जाने पर लोग भयानक चिंता में ग्रस्त होते हैं। डरते-कॉपते रहते हैं और कई बार तो उसी कुचक्र में बहुत कुछ लुटा-गँवा बैठते हैं। भूत, प्रेत, टोना,

टोटका, ग्रह दशा आदि की मान्यतायें सर्वथा तीर-तुकका हैं। पर कितने ही लोग पत्थर की लकीर मान बैठते हैं और अशुभ, अनिष्ट की संभावना का निवारण करने के लिए पशु बलि, मनुष्य बलि जैसे कुकृत्य करते हैं। किसने जादू किया इसके लिए किसी पर भी दोषारोपण करते हैं। उसके दुश्मन बनते या उसे अपना दुश्मन बनाते हैं। इस आधार पर वहाँ भी विग्रह विद्वेष पनपता है, जहाँ सहज सद्भाव रह सकता था।

कितनी ही कुरीतियाँ अपने समाज में प्रचलित हैं जिनमें एक ही जाति-पाँति के आधार पर ऊँच-नीच की मान्यता बनाने की बात सर्वथा बेतुकी है। इस आधार पर अपना दायरा छोटी जाति, उपजाति तक सीमित रह जाता है और दूसरे लोग बिराने प्रतीत होने लगते हैं। विवाह-शादियों में यह एक भारी अड़चन है। अपनी ही उपजाति में संबंध करने का दुराग्रह ऐसा अड़ंगा है जिसके कारण उपयुक्त संबंध ढूँढने में भारी अड़चन पड़ती है। छोटे दायरे में, अच्छे लड़की-लड़के कठिनाई से ही मिलते हैं। ऐसी दशा में देन-दहेज की माँग बढ़ती है। नीलामी बोली लगती है। जो अधिक दाम लगाता है, वह खरीदता है। यदि यह अड़ंगा न हो तो दायरा और अच्छे जोड़े तलाश करने में कहीं कोई अवरोध न रहेगा। इस संबंध में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक अनुदार पाई जाती हैं। वे ही जाति-उपजाति के दायरे में रहने और अधिक दहेज वसूल करने में उत्साह दिखाती हैं। उनकी बात न मानने पर घर में विग्रह खड़ा होता है।

ऊँच-नीच की, जाति-पाँति की संकीर्णता के आधार पर समाज छोटे-छोटे दायरे में बँटता है और सामूहिक सद्भाव का वातावरण बनाने में अवरोध उत्पन्न होता है। नीच जाति समझे जाने वाले लोगों को अनेकों असुविधाओं का त्रास सहना पड़ता है जबकि ऊँची जाति का समझने वाले अकारण अपने अहंकार में डूबते रहते हैं। यह ऐसा मनोवैज्ञानिक विग्रह है जिसके कारण समग्र प्रगति की योजनाओं को सफल बनाने में असफल रहना पड़ता है।

दूसरी कुरीति है नर और नारी का भेदभाव। नारी को हेय मानना इस प्रचलन का समर्थन यदि पुरुष करे तो बात समझ में

आती है कि इस आधार पर उसे नारी का शोषण करने का अधिकार मिलता है। उस पर स्वामित्व जमाने, अपने अधिकार में पशुओं की तरह उसे रखने का गर्व करने जैसा अवसर मिलता है। नारी को मिलने वाली सुविधाओं को वह पति के नाम पर स्वयं हड़प जाता है। पर आश्चर्य तब होता है जब नारी-नारी का शोषण करने, उसे तिरस्कृत स्थिति में रखने में पुरुष से भी दो कदम आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभाती है। कन्या जन्मने पर पिता से अधिक माता को दुःख होता है। पुत्र प्राप्ति करने के लिए मनौतियाँ मनाने में वही आगे रहती है। पुत्र जन्म पर उत्सव मनाने के लिए उसी का अधिक आग्रह रहता है। कन्या जन्मने पर घर की नारियाँ ही अधिक मुँह लटकाये देखी जाती हैं। जबकि होना यह चाहिए था कि वे अपने वर्ग की बढ़ोत्तरी होने पर अधिक प्रसन्न होतीं। क्योंकि वे स्वयं भी तो पुत्री के रूप में जन्मी थीं। स्वयं जीवन भर अपमानित रहीं। अब उनने भी अपने ही सजातीय उत्पादन को तिरस्कृत करना आरंभ कर दिया। लड़के-लड़की को समान दुलार देने, सम्मान देने में घर के पुरुष ही नहीं स्त्रियाँ और भी दस कदम आगे रहती हैं। वे लड़कों को वरिष्ठता देती हैं और लड़कियाँ उन्हीं के द्वारा सुविधाओं से वंचित रखी जाती हैं। प्यार, दुलार में भी भेदभाव रहता है। कपड़े, खिलौने आदि में भी।

सास-बहू की लड़ाई प्रसिद्ध है। इसी प्रकार ननद-भावज की भी। इसका तात्कालिक कारण जो भी हो, पर वस्तुतः मूल में यही मनोवृत्ति काम करती है कि बड़ी आयु की, बड़े पद की नारी अपने से छोटों पर कड़ाई करे, उसे अपमानित स्थिति में रहने के लिए बाधित करे। संयुक्त परिवार के न चलने देने में प्रायः स्त्रियों की ही संकीर्णता बाधित होती है। इस अलगाव के चरितार्थ होने पर हर दृष्टि से हर सदस्य की हानि ही हानि है। बाल-विवाहों में उतावली, विधवा विवाह में अड़ंगेबाजी प्रायः उन्हीं की ओर से रहती है। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा है कि पुरुष इन तृद-मान्यताओं से अछूते हैं। वे भी पिछड़ेपन को परंपरा मानकर उसका समर्थन करते रहते हैं, पर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो प्रतिगामिता के प्रति कट्टरता

उन्हीं की अधिक देखी जाती है। अब घूँघट निकालने की प्रथा समाप्त प्रायः हो चली है, पर सासँ अभी भी बधुओं पर उसे अपनाए रहने का दबाव डालती हैं।

अशिक्षा बनाए रहने में आग्रह नारी समुदाय का ही अधिक रहता है और उस वर्ग में शिक्षा को पुरुष की तरह नारियों के लिए भी आवश्यक होने की मान्यता बन पड़े तो समझना चाहिए कि तीन-चौथाई समस्या का समाधान हो गया। किसी कार्य के लिए इच्छा तीव्र हो तो फिर साधन जुटने में कोई कठिनाई नहीं रहती। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं जिनमें जेल भुगतते रहने पर भी वही कंकड़ और लोहे के तसले का सहारा लेकर शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर ऊँचे विद्वान बन गए। इसके विपरीत ऐसी घटनाओं की भी कमी नहीं जो बताती हैं कि समस्त सुविधाएँ रहने पर भी मन न लगा सके और हजार प्रयत्न करने पर भी शिक्षा से वंचित ही रह गए। महिला समाज में प्रगतिशीलता का बीजारोपण पुरुषों से भी अधिक आवश्यक है। पुरुष तो जन-संपर्क में अनेक प्रकार के घटनाक्रम देखता है। उनसे प्रभाव ग्रहण करता है और किसी कदर कट्टरता को घटा लेता है, पर स्त्रियों को घर के छोटे पिंजड़े में कैद रहने और प्रगतिशील समुदाय से वास्ता न पड़ने के कारण परंपराएँ ही सब कुछ बनी रहती हैं। समय की गति और आवश्यकता से वे अवगत नहीं हो पातीं, फलतः अपेक्षाकृत उन्हें प्रतिगामिता के प्रति अधिक दुराग्रही पाया जाता है।

परिस्थिति बदलने से पहले मनःस्थिति बदलना आवश्यक है। अन्यथा सुधारी हुई परिस्थिति के अनुरूप आचरण करने, उन प्रयासों में सहयोग देने की बात बन ही न पड़ेगी। जुटाए हुए सुधार साधन ऐसे ही तुकराए जाते रहेंगे, उपेक्षित अस्त-व्यस्त पड़े रहेंगे। इस संदर्भ में किए गए सरकारी प्रयत्नों की असफलता का प्रधान कारण यही है कि लोक-मानस, उनमें रस लेने, उत्साह प्रदर्शित करने जैसा बनाने की आवश्यकता न समझी गई और साधन पर थोप दिए गए। अरुचि होने पर किसी कार्य को समर्थन, सहयोग नहीं मिल सकता, भले ही वह कितना ही उपयोगी, कितना ही लाभदायक क्यों न हो।

तीर्थयात्रा के नाम पर अरबों-खरबों की संपत्ति हर वर्ष खर्च होती है। धार्मिक कर्मकांडों में भी असीम राशि खर्च होती है। यदि परंपरावादियों में सामयिक आवश्यकताओं और माँगों का स्वरूप एवं परिणाम प्रस्तुत किया गया होता तो इतने भर से प्रचलनों में कायाकल्प जैसा परिवर्तन संभव हो सका होता। मृतक भोजों में न जाने कितनी राशि खर्च होती है। यदि उस अपव्यय को रोककर पूर्वजों के छोड़े उत्तरदायित्वों को पूरा करने की बात सोची गई होती। उनसे कम मात्रा में बन पड़े पुण्य कार्यों की क्षति पूर्ति की गयी होती तो उसका प्रतिफल लोकोपयोगी कार्यों में बाढ़ आ जाने जैसा बन पड़ा होता।

इन सब बातों पर विचार करने के उपरांत इसी निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि प्रगतिशीलता की पक्षधर विचार क्रांति की नितांत आवश्यकता है। उसे पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि भी समझा जा सकता है। इसके लिए आवश्यक प्रचार साधन जुटाने की आवश्यकता है। इस निमित्त टेप रिकार्डर वीडियो, स्लाइड प्रोजेक्टर जैसे कितने ही सुलभ उपकरण उपलब्ध हैं। चित्र प्रदर्शनियों से भी यह कार्य हो सकता है। चार्ट, नक्शे, चित्र दिखाने का प्रबंध हो सकता है। शिक्षितों के लिए दीवारों पर आदर्श वाक्य लिखना भी उपयोगी होता है। इस हेतु चित्र प्रकाशन का कार्य हाथ में लिया जा सकता है और प्रत्येक अनुपयुक्तता के विरोध में और प्रत्येक आवश्यकता के पक्ष में प्रदर्शन करने का प्रबंध किया जा सके तो वे चित्र अतीव उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। जहाँ जो उपकरण संभव हों वहाँ उनके माध्यम से शिक्षित अशिक्षित, बाल-वृद्ध, नर-नारी सभी को युग चेतना से अवगत कराने और प्रभावित करने की आवश्यकता है।

नशेबाजी जैसी कितनी ही दुष्प्रवृत्तियाँ ऐसी हैं जो स्त्रियों में तो उतनी नहीं पाई जाती पर पुरुष वर्ग उनके शिकंजे में बुरी तरह कसता चला जाता है। आरंभ में इनसे विशेष हानि होने वाले जैसी भयंकरता नहीं समझी जाती पर धीरे-धीरे उस धीमी आत्महत्या, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, अर्थ व्यवस्था, परिवार, संतान सभी का सर्वनाश हो जाता है। इस कुटेव को घर में प्रवेश न करने

देने, छोड़ने के लिए बाधित करने में स्त्रियों का रूठना, विरोध करना, असहयोग करना, समझाना आदि जो भी तरीके संभव हों, उन्हें अपनाकर यह प्रबंध करना चाहिए कि नशेबाजी घर में घुसने न पाए। यदि किसी रूप में घुस आई हो तो उसे हर संभव उपाय से हटाकर रहना। कुरीति उन्मूलन की दिशा में न केवल प्रशिक्षित किया जाना चाहिए वरन् उनसे इस मोर्चे को सँभालने के लिए भी कहा जाना चाहिए।



सामूहिकता के माध्यम से उत्साह का उभार

आदत डालने पर तो किसी प्रकार का स्वभाव बन सकता है। पर कुछ मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियाँ हैं, जिन्हें सदा सर्वदा के लिए दबाकर नहीं रखा जा सकता है। दबाये जाने पर व्यक्ति और समाज का अहित ही होता है। जैसे विवाह की परंपरा। सारस की तरह मनुष्य भी जोड़ा बनाकर रहने वाला प्राणी है। विवाह व्यवस्था को हटा दिया जाए तो अनाचार फैलेगा, परिवार अस्त-व्यस्त हो जाएँगे। बालकों का भविष्य अंधकारमय बनेगा और दांपत्य जीवन में बफादारी नाम की कोई चीज न रहेगी। पशुओं की तरह स्वच्छंद यौनाचार का क्या परिणाम हो सकता है, इसकी कल्पना कर सकना भी मनुष्य जैसे सामाजिक एवं विकसित प्राणी के लिए कर सकना कठिन है।

विवाह की तरह ही सामूहिकता भी हर किसी के लिए आवश्यक है। नर या नारी दोनों की यह एक मौलिक आवश्यकता है। इसी उत्कंठा से अनुप्राणित होकर मनुष्य परिवार बसाते हैं। गाँव नगर बसाते हैं। समाज की संरचना करते और उसकी आचार संहिता का निर्माण करते हैं। छोटे बड़े उत्सर्ग का उपक्रम भी इसी हेतु बनता और चलता है। व्यक्तिगत रूप से संस्कार आजीवन घरेलू रूप में होते रहते हैं। पर्व त्यौहार सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। जगह-जगह मेले लगते हैं। गाँव में हाटे लगती हैं और झूले-डोल चलते हैं। तीर्थ

स्थानों में निर्धारित पर्वों पर स्नान, देव दर्शन आदि के निमित्त बड़े मेले लगते हैं। कुंभ पर्व जैसे बड़े आयोजन भी निर्धारित अवधि में नियत स्थानों पर होते रहते हैं। क्लब इसी प्रयोजन के लिए बनते हैं। खेलों की तथा दूसरे प्रयोजनों की प्रतियोगिताएँ होती रहती हैं। इनके अन्य लाभ तो हैं ही पर प्रमुख लाभ यह है कि एक स्थान पर अधिक लोगों के मिलने का सुयोग बनता है और उससे आनंद मिलता है और उत्साह भी। मृत्यु के समय अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए कितने ही लोग मिल-जुलकर जाते हैं। बारात में सगे-संबंधियों का उत्साह उमगता है और वे उस उत्सव में सम्मिलित हुए बिना नहीं रहते। चाहे कितना ही समय या पैसा खर्च होता हो। यह मनुष्य की मौलिक प्रवृत्ति है। इसे रोकने से लाभ कम और हानि अधिक है। समूह सम्मेलनों से मनुष्य बहुत कुछ सीखता और बहुत कुछ अनुभव एवं कौशल बढ़ाता है।

जन जागरण के लिए आयोजनों, समारोहों की अनिवार्य रूप से आवश्यकता पड़ती है। यों यह कार्य जन-जन से घर-घर जाकर मिलने में भी किसी कदर हो सकता है। पर वह लंबा और समय साध्य कार्य है। उसे प्राचीनकाल के साधु-ब्राह्मण तो घर-घर अलख जगाने की प्रक्रिया अपनाकर किसी प्रकार पूरा कर लेते थे। उसी के साथ-साथ उनका भिक्षाटन का उद्देश्य भी जुड़ा रहता था ताकि निर्वाह क्रम भी ठीक तरह चलता रहे। पर अब वैसा संभव नहीं रहा। न तो भिक्षाटन की उपयोगिता शेष रह गई है और न इतने परिश्रमी, इतने सेवाभागी लोग कहीं दृष्टिगोचर होते हैं जो प्राचीनकाल की उस परंपरा को अपना सकें और सुशिक्षित जन समुदाय से संपर्क साध सकें। मात्र संपर्क ही नहीं साधें वरन् साथ-साथ विचार परिवर्तन भी तो आवश्यक है। उसके लिए ऐसे विचारशील चाहिए जो हर व्यक्ति के पृथक्-पृथक् स्तर के अनुरूप उनकी उलझनों को सुलझाने में समर्थ हो सकें। ऐसे सुयोग्य व्यक्तियों का मिल सकना भी कठिन है। फिर उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ ही ऐसी होती हैं जो भिक्षाटन जैसी स्वल्प आजीविका वाले कर्म के सहारे नहीं चल सकतीं। प्राचीनकाल में अतिथि सत्कार का महत्त्व भी समझा जाता था और जो अतिथि

किसी के दरवाजे पर पहुँचते थे वे इतने सुयोग्य होते थे कि जन-जन से सहज श्रद्धा अर्जित कर सकें। अब वह स्थिति भी तो नहीं रही।

ऐसी दशा में एकमात्र उपाय यही रह जाता है कि विचार क्रांति अभियान की पूर्ति के लिए छोटे-बड़े सत्संग समारोहों का, गोष्ठियों का क्रम बनाया जाए उनमें वक्ता अपने विचार प्रकट करे और गायक श्रोताओं की भाव संवेदनाओं को झकझोरते हुए युग चेतना को जन-जन के मन-मन में प्रतिष्ठित करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे।

प्रसंग यहाँ महिला जागृति का है। इस हेतु उनमें उत्साह भरने के लिए कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि एक स्थान पर अधिक महिलाएँ एकत्रित होकर परस्पर विचार विनिमय कर सकें। एक-दूसरे की देखा-देखी प्रेरणा ग्रहण कर सकें। उससे उनका उत्साह भी उभरेगा और साहस भी जगेगा। प्रगति पथ पर चरण बढ़ा सके इसके लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाना हर दृष्टि से उपयोगी एवं आवश्यक है।

इस हेतु जो किया जाना है उसका स्वरूप यह होना चाहिए कि वक्ता गायकों की टोली गठित की जाए। घरों में प्रवेश करने के लिए कार्यक्रम का स्वरूप प्रगतिवादी नहीं वरन् धार्मिक आवरण से लिपटा हुआ हो। धर्म के प्रति शिक्षित-अशिक्षितों के एक बड़े वर्ग में अभी भी किसी न किसी रूप में भाव श्रद्धा बनी हुई है। कीर्तन सत्संग का सम्मिलित रूप रखकर यह मुहल्लों में छोटे-छोटे आयोजन रखे जाएँ तो पास-पड़ोस की महिलाएँ सहज ही एकत्रित हो सकती हैं। भगवत् कीर्तन के लिए वाद्य यंत्रों की सहायता मिल सके तो और भी अच्छा अन्यथा तालियाँ बजाकर भी सहगान कीर्तन होते हुए देखे गए हैं। इन कीर्तनों में भगवत् नाम का उच्चारण तो हो पर साथ ही बीच-बीच में टिप्पणियाँ भी होती रहें। कीर्तनों के लिए जो पद्य ढूँढ़े जाएँ, ध्वनियाँ अपनाई जाएँ उनमें प्रगतिशीलता का समावेश होना चाहिए, जिनकी व्याख्या करते हुए उन विषयों का भी समावेश किया जा सके। इस प्रकार के कीर्तनों-भजनों की व्यवस्था घर-मुहल्लों में

आसानी से हो सकती है। थोड़े-थोड़े घरों के बाद उनका निर्धारण किया जा सकता है। इस प्रकार कुछ दिनों में पूरे गाँव को प्रचार क्षेत्र में समेटा जा सकता है। एक मास बाद वही क्रम फिर दुहराया जा सकता है। इस प्रकार एक घर में एक महीने बाद और वर्ष में बारह बार एक परिकर में प्रचार प्रेरणा का उपक्रम बन पड़ेगा। एक परिवार में अधिक नहीं तो आठ-दस घरों की महिलाएँ तो आसानी से एकत्रित हो सकती हैं। हर गाँव में इसी प्रकार की मंडलियाँ गठित हो जाएँ। उनका संचालन महिलाएँ मिल-जुलकर करें तो घर-घर नव जागृति का आलोक वितरण सहज ही हो सकता है। महिलाएँ महिलाओं से मिलकर नारी पुनरुत्थान के अनेक पक्षों पर विचार कर सकती हैं और एक-दूसरे को प्रोत्साहन प्रदान कर सकती हैं।

इस बहाने घर से बाहर निकलने का, घूँघट खोलने का, एक-दूसरे की स्थिति समझने और मिल-जुलकर उपाय सोचने की मनःस्थिति बन सकती है। यह छोटा आरंभ आगे चलकर कुछ ऐसे रचनात्मक काम खड़े कर सकता है जिससे प्रगति पथ पर एक के बाद दूसरा कदम उठता चले।

कहा जा चुका है कि नारी पुनरुत्थान के लिए प्रथम कार्य अशिक्षितों को शिक्षित बनाने के रूप में प्रारंभ किया जाना चाहिए। शिक्षित महिलाएँ अशिक्षितों को पढ़ाने के लिए अपना समयदान दें। १०-११ का न्यूनाधिक परिवारों का एक परिवार मंडल बने। उन घरों की महिलायें किसी एक खुली जगह वाले घर में प्रौढ़ महिला पाठशाला चलाएँ। साक्षरता जैसी स्थिति कुछ ही दिनों में संपन्न हो जाती है इसके बाद जो पढ़ने को शेष रह जाता है वह है जीवन के साथ जुड़ी हुई अनेकानेक समस्याओं का समाधान। इसके लिए यों तो सत्संग परामर्श की पद्धति अधिक उपयोगी है। उसमें हर किसी की अलग-अलग प्रकार की उलझनों का समाधान बन पड़ता है। अपनी समस्याओं का सही समाधान प्रायः उत्तेजित या भयभीत मनःस्थिति में बन नहीं पड़ता। रोगी अपना इलाज स्वयं सही रीति से कर नहीं पाते उसे दूसरे चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति हर जगह नहीं मिलते जिनकी प्रज्ञा हर स्थिति में सही

मार्गदर्शन कर सकने की हो। ऐसी दशा में जीवन साहित्य का आश्रय लेना ही एकमात्र उपाय रह जाता है। साक्षरता के उपरांत ऐसा ही साहित्य अध्ययन करते रहने का उपक्रम हर शिक्षित को अपनाना चाहिए।

इस संदर्भ में कठिनाई यह है कि जीवन विधा के हर पक्ष पर उच्चस्तरीय प्रकाश डालने वाले साहित्य हर कहीं उपलब्ध नहीं होते। फिर उसे खरीदते रहने के लिए आए दिन पैसा खर्च करते रहने की स्थिति भी हर किसी की नहीं होती। ऐसी दशा में इस प्रयोजन को पूरा कर सकने वाले पुस्तकालय ही एकमात्र अवलंबन रह जाते हैं। महिला जागरण के लिए प्रौढ़ शिक्षा का प्रबंध करने वालों को अगला कदम यही उठाना चाहिए कि अभीष्ट प्रयोजन को पूरा कर सकने वाले पुस्तकालय की स्थापना करें। पाठशालाओं के पूरक पुस्तकालय ही हो सकते हैं। दोनों को अन्योन्याश्रित मानकर चलना चाहिए और इस युग को समान महत्त्व का समझते हुए उनका प्रबंध करने पर समान ध्यान देना चाहिए।

महिलाएँ घर छोड़कर पुस्तकालय जाने, वहाँ से साहित्य लाने और वापिस करने जाने का कार्य वर्तमान प्रतिबंधों के रहते कर नहीं पाएँगी। इसलिए घर-घर सत्साहित्य पहुँचाने और वापिस लाने का प्रबंध भी पुस्तकालय संचालकों, संस्थापकों को ही करना चाहिए। ताकि प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से साक्षर बनी महिलाओं के अतिरिक्त जो पहले से ही पढ़ना-लिखना जानती हैं उन्हें भी इस लाभ से लाभान्वित होने का अवसर मिलता रहे। साक्षरता आरंभिक चरण है। उसकी सार्थकता तभी पूरी होती है जब पढ़ने-लिखने की योग्यता का उपयोग जीवन साहित्य पढ़ने के निमित्त किया जा सके।

तीसरा चरण है—सामूहिक सम्मेलनों, वाले कार्यक्रमों की व्यवस्था और उनमें एक क्षेत्र की महिलाओं की अधिकाधिक उपस्थिति। सम्मेलनों के द्वारा उत्साह उमंगता और साहस जागता है। प्रतीत होता है कि हम अकेले नहीं हैं वरन् कितने ही अन्य व्यक्ति उसी विचारधारा के हैं। उसी मार्ग पर चलने वाले हैं। अकेलेपन का अनुभव मनुष्य की हिम्मत तोड़ता है। उसे अवसाद ग्रस्त बनाता है।

जब प्रतीत होता है कि अनेकों उसी मार्ग के साथी सहचर हैं तो प्रगतिशीलता का नया मार्ग अपनाने के लिए सभी का मन उमँगने लगता है। वातावरण बनाने के लिए, उत्साह जगाने के लिए यह प्रयास आवश्यक है। आयोजनों में जितने अधिक लोग उपस्थित होते हैं उसी अनुपात से उत्साह भी बढ़ता है और आनंद भी मिलता है। रैलियाँ, जुलूस, प्रदर्शन आदि यों राजनैतिक उद्देश्य के लिए होते रहते हैं। कभी-कभी उनका उद्देश्य संगठन बनाना और अपने समुदाय की शक्ति का प्रदर्शन करना भी होता है। इतने पर भी यह तथ्य यथावत् रहता है कि सम्मेलन-समारोहों का अपना महत्त्व है। उसे प्रगतिशीलता के अभिवर्धन हेतु तो प्रयुक्त किया ही जाना चाहिए।

जिस प्रकार पर्व, त्यौहार, मेले आदि परंपरागत रीति से चलते आए हैं, उसी स्तर की व्यवस्था प्रगतिशीलता के अभिवर्धन में की जानी चाहिए। छोटे-बड़े महिला सम्मेलन करने का प्रबंध उन लोगों को मिल-जुलकर करते रहना चाहिए। जो महिला जागरण में रुचि लेते और उसे आवश्यक मानते हैं। ऐसे सम्मेलन में महिला समस्याओं का स्वरूप और समाधान प्रस्तुत करते रहा जा सकता है, साथ ही कार्यक्रम की उस रूपरेखा को समझाया जा सकता है, जो प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए अपनाई जानी आवश्यक है।



व्यापक प्रयत्नों की आवश्यकता

नारी उत्कर्ष की आवश्यकता समझने और उसकी उपयोगिता पर विश्वास करने वाले प्रत्येक विचारशील नर-नारी को इस पुण्य प्रयोजन के लिए अपने समय का एक अंश नियमित रूप से लगाने का निश्चय करना चाहिए। जो पिछड़ेपन से ग्रस्त हैं वे अपना समय इस कार्य में लगावें कि उन्हें शिक्षा, स्वावलंबन, संगठन जैसे सूत्रों में बँधना है और उनमें प्रगति करने के लिए अनवरत परिश्रम करना है। जो शिक्षित हैं उन्हें यह सोचना चाहिए कि प्रस्तुत सेवा कार्य

अत्यधिक महत्त्व का है, उसकी पूर्ति को युग धर्म का आह्वान माना जाए।

अपने समय का यह सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है, नारी समुदाय अर्थात् आधी जनसंख्या। उसका अनपढ़ परिस्थितियों में जकड़े रहने का अर्थ है—संसार का पिछड़ेपन की गई-गुजरी परिस्थिति में बने रहना। दो बैलों का भार यदि एक ही बैल को ढोना पड़े, गिरे हुए साथी का बोझ ही नहीं वजन भी अपने ऊपर लादकर चलना पड़े तो उसकी दुर्गति होगी—यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। आज के पुरुष की भी यही स्थिति है। नारी से सहयोग पाकर जीवन क्षेत्र की हर दिशा में सफल और अग्रसर होना तो दूर उल्टा यह होता है कि नारी का, उसकी संतान का समूचा बोझ पति नामधारी को वहन करना पड़ता है। यह सब इतना भारी होता है कि उसकी व्यवस्था बनाने में ही सारी शक्ति चुक जाती है, सारी आयु निकल जाती है।

समुन्नत देशों में जहाँ नारी को नर की भाँति ही समुन्नत बनने का अवसर मिला है वहाँ स्थिति सर्वथा दूसरी है। महिलाएँ मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, एक-दूसरे को प्रगति-पथ पर अग्रगामी बनाने में असाधारण योगदान करते हैं, परिवार की गाड़ी मिल-जुलकर आसानी से खींच लेते हैं। अस्वस्थता, निर्धनता, उदासीनता, चिंता जैसी समस्याएँ वहाँ बहुत वजनदार बन ही नहीं पातीं। हँसती-हँसाती, हल्की-फुल्की जिंदगी सहज कट जाती है। समुन्नत देशों में हर व्यक्ति की, हर परिवार की यही स्थिति है। वहाँ नारी बंदी की तरह जेलर पर भार बनकर नहीं लदी रहती वरन् साथियों की, परिजनों की प्रगति में भरपूर सहायता देती है। समाज को सुविकसित-सुसंस्कृत बनाने में समुचित योगदान करती है। फलतः उन देशों की परिस्थितियाँ नर और नारी का समान सहयोग मिलने से सुदृढ़ और सक्षम बनती जाती हैं तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो प्रतीत होगा कि जहाँ नारी की स्थिति गई-गुजरी है वहाँ हर प्रकार की विषमता एवं विपन्नता ही बढ़ी है। दीन-हीन स्थिति में पड़ा

नारी समुदाय न स्वयं समर्थ बन सका और न नर की-समाज की स्थिति सुधारने में योगदान कर सका।

नारी की अवगति का अर्थ है—समूचे समाज को दुर्गति प्रदान करने रहना। अर्धांग पक्षाघात पीड़ित की जैसी दयनीय स्थिति होती है वैसी ही उन समाजों की है जहाँ नारी को विपन्न परिस्थितियों में रहने के लिए विवश किया गया है।

कठिनाइयों के निवारण हेतु अनेक आधार खोजे और अनेक उपाय सोचे जाते हैं। उन्नति की अनेक विधाएँ सोची जाती हैं, पर यह भुला दिया जाता है कि आधी दुनियाँ किस गई-गुजरी स्थिति में पड़ी है, उसे दलदल से उबारे बिना न वह अपने पैरों पर खड़ी होने चलने योग्य बन सकती है और न प्रगति पथ में ऐसा सहयोग दे सकती है जिसे सराहनीय कहा जा सके। साथ ही उन्हें भी फुरसत मिले जो इन असहायों की देखभाल करने तथा गुजारे का प्रबंध करने में नियुक्त रहकर अपना समय बिताते हैं।

राष्ट्रीय प्रगति की बात सोचते समय हमें समुन्नत देशों की परिस्थितियों का पर्यवेक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि वे किस कारण समृद्ध बने और हम क्यों पिछड़ गए। इस संदर्भ में सबसे बड़ा तथ्य एक ही सामने आवेगा कि वहाँ आधी जनसंख्या—नारी न केवल निजी जीवन में अपनी शक्ति सामर्थ्य का परिचय दे रही है वरन् देश को हर दृष्टि से समुन्नत बनाने वाले सभी क्षेत्रों में बढ़-चढ़कर योगदान दे रही है। वहाँ नारी शक्ति किसी पर भी भार नहीं है वरन् पुरुषों के समकक्ष ही अपनी महती भूमिका का निर्वाह कर रही है। जबकि भारतीय नारी न केवल अनुत्पादक है वरन् प्रतिबंधों के कारण असहाय स्थिति में रहकर पुरुष वर्ग के लिए भार बनकर रह रही है। खाई खोदने और दीवार चुनने की प्रक्रिया यदि समान रूप से जारी रहे तो ऊँचाई और निचाई का अंतर लगातार बढ़ता ही रहेगा। इसी प्रकार नारी यदि अवगति की ओर गिरती रहे और पुरुष वर्ग की अहमन्यता बढ़ती रही तो अंतर आखिर बढ़ता ही रहेगा। उसका दुष्परिणाम भी सहना ही पड़ता रहेगा—इसका प्रतिफल सामने है। हम अपनी आधी जनसंख्या के

पौरुष, पराक्रम, कौशल, उत्पादन से न केवल वंचित हैं वरन् उसकी असमर्थता के कारण होने वाली हानि को भी पग-पग पर अनुभव कर रहे हैं।

इस चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए ? इसके उत्तर में प्राथमिकता देने योग्य परामर्श एक ही है कि नारी उत्कर्ष को प्राथमिकता दी जाए। उसे समुन्नत-स्वावलंबी और प्रगतिशील बनाया जाय—इतना अनुदान, सहयोग प्राप्त करने के उपरांत वह अपने कौशल से निजी व्यक्तित्व को, दांपत्य जीवन को पारिवारिक समृद्धि-सद्भावना में चार चाँद लगा सकेगी। नई पीढ़ियों को इस ढाँचे में ढाल सकेगी कि अगले ही दिनों सुख-शांति का, समृद्धि और प्रगति का वातावरण विकसित होता हुआ दृष्टिगोचर होने लगे।

सुयोग्य नारी किसी भी परिवार का मेरुदंड है। रसोई वही बनाती है, स्वादिष्ट बनाने के साथ-साथ यदि वह उसकी सात्विकता और पौष्टिकता को बनाये रह सके तो समझना चाहिए कि सारे परिवार को निरोग रखने की आधी जिम्मेदारी ठीक प्रकार निभने लगी। यदि वह सफाई के सभी पक्षों से अवगत हो और उन्हें गृह व्यवस्था में परिजनों की आदतों में सम्मिलित कर सके तो समझना चाहिए कि निरोग रहने के संबंध में इतनी बड़ी गारंटी मिल गई जितनी कि डॉक्टरों के महँगे बिल चुकाते रहने पर भी नहीं बनती।

कुरीतियों के कारण होने वाला भारी अपव्यय और समय-चिंतन का भारी ह्रास भी नारी की प्रगतिशीलता ही दूर कर सकती है। मात्र पुरुष वर्ग उससे असहमति प्रकट करता रहे किंतु घर की नारियाँ अंध परंपराओं को अपनाने के दुराग्रह पर अड़ी रहें तो फिर बात नारी वर्ग की ही चलेगी और सुधार योजनाओं को असफल ही रहना पड़ेगा।

समस्या एक स्थान या केंद्र पर केंद्रित नहीं है जिसे अस्त्र-शस्त्रों से लड़ा जा सके और किसी नियत मोर्चे पर संग्राम करके निपटाया जा सके। प्रश्न जन-जन पर लागू होता है, हर पुरुष पर-हर नारी पर। ५०० करोड़ की जनसंख्या इस या उस पक्ष में बँटी हुई है, पुरुष नारी को हेय और हीन समझते हैं, उसके शोषण

में लाभ देखते हैं और जिसे जिस भी प्रकार शिकंजे में कस लिया गया है उस पकड़ को ढीली नहीं करना चाहते। इसमें उन्हें प्रत्यक्ष तथा तात्कालिक लाभ भी दिखता है और गर्व-अहंकार के पोषण का अद्वसर भी मिलता है। नारी ने भी अपने को असहाय भाग्य की मारी मान लिया है और आत्महीनता की ग्रंथि में ग्रसित होकर यथास्थिति बनाये रहने का मन बना लिया है। पालतू पशुओं ने भी अपने मालिक के साथ ऐसा ही समझौता कर लिया है। परिस्थिति को बदलने के लिए—सुधार की दिशा में अग्रसर होने के लिए कोई भी पक्ष कुछ ठोस कदम उठाने के लिए तैयार नहीं, भले ही स्थिति को अनपयुक्त होने की बात कोई कितने ही जोर-शोर से कहता रहे। जब तक ठोस और व्यापक कदम न उठे तब तक इतनी पुरानी-इतनी व्यापक समस्या के सुलझाने के लिए कोई कारगर उपाय करते कैसे बन पड़े ? अनौचित्य ने अपनी जड़ें गहराई तक जमा ली हैं, उन्हें सामान्य से कुरेद-बीन या उखाड़-पछाड़ से निरस्त नहीं किया जा सकता।

प्रस्तुत कुप्रचलन के दुष्परिणामों को जब तक जन-जन के मन तक भली प्रकार समझ सकने की स्थिति तक न पहुँचाया जाए तब तक परिवर्तन के लिए लोक मानस में स्फुरणा कैसे पैदा हो ? विपन्नता के कारण हुई क्षति को पूरा करने के लिए जब तक समुचित सरंजाम न जुटाएँ जाएँ तब तक स्थिति को बदल सकने वाला आधार कैसे बने ? उन्मूलन की दिशा में बहुत कुछ करना होगा, साथ ही संस्थापन के लिए भी समुद्र सेतु बाँधने, गोवर्धन उठाने जैसा प्रयत्न करना होगा। यही है नारी पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि—जिसे सुसम्पन्न करने के लिए सीमित नहीं असीम प्रयत्न करने होंगे।

अछूते समुन्नत कहे जाने वाले देश भी नहीं, उन तथाकथित विकसित देशों में नारी की पराधीन जैसी प्रत्यक्ष समस्या भले ही न हो, पर परोक्ष रूप से दूसरे प्रकार के शिकंजों में वहाँ भी वह कस गई है। नारी को वहाँ विलास का माध्यम बनाया गया है, उसे खुशी-खुशी पुरुष के विनोद का खिलौना बनने के लिए प्रलोभनों के

आधार पर विवश किया गया है। क्षण में मिलन और और क्षण में तलाक की मनःस्थिति वहाँ दोनों ही पक्ष बनाए रहते हैं। रक्त का नया चढ़ाव ही आकर्षण का केन्द्र रहता है, जैसे ही वह ज्वार उतरता है नारी अपने को एकाकी उपेक्षित अनुभव करती है। इस कुचक्र में बालकों की और भी अधिक दुर्दशा होती है, वे गर्भपात से लेकर अनाथों जैसी स्थिति में रहने के लिए विवश होते हैं। दांपत्य जीवन की वफादारी न रहने पर नर-नारी और बालक तीनों ही पक्ष अपने को अनिश्चितता की स्थिति में फँसे हुए अनुभव करते हैं। तथाकथित सभ्यता समझी जाने वाली स्वच्छंदता की यही देन समुन्नत कहे जाने वाले देशों में बुरी तरह बिखरी दीखती है।

समस्या पिछड़े कहे जाने वाले देशों और वर्गों की ही नहीं, सभ्य समुन्नत देशों की भी है—भले ही उनके बाह्य स्वरूप पृथक्-पृथक् प्रकार के दीख पड़ते हों। पिछड़े देशों की नारी शोषण-उत्पीड़न से संत्रस्त है तो समृद्ध देशों की नारी प्रलोभनों में फँसकर उपेक्षा की गर्त में फँक दी जाने वाली अभागिनी। सुधार सर्वत्र अपेक्षित है। यह दूसरी बात है कि पिछड़े देशों में नारी उत्थान के लिए एक प्रकार के प्रयत्न करने होंगे तो समुन्नत देशों में उसकी स्थिति को सुनिश्चित एवं सुस्थिर बनाने के लिए दूसरी विधियाँ अपनाने की आवश्यकता पड़ेगी। दांपत्य जीवन में, परिवार में दोनों ही संत्रस्तता में रह रही हैं। यह बात अलग है कि पिछड़े देशों की नारी अशिक्षित और अनुत्पादक रहने के कारण शोषण की शिकार बनती है तो समुन्नत देशों में उसका निजी मूल्य रूप-यौवन पर अवलंबित रह गया है। यों कमाने की दृष्टि से विकसित कही जाने वाली नारी कुछ अच्छी स्थिति में रह रही प्रतीत होती है, फिर भी वह ऐसी स्थिति में नहीं है जिसे संतोषजनक कहा जा सके।

कार्य बड़ा है, इतना बड़ा जिसकी लपेट में आधी दुनियाँ प्रत्यक्ष रूप से और आधी परोक्ष रूप से लपेट में आती है। इस कारण समाज का हर क्षेत्र प्रभावित होता है। मनुष्य का स्तर ही समस्याएँ उत्पन्न करता और प्रगति की सम्भावनाएँ विनिर्मित करता है। यदि वही गड़बड़ाने लगे तो समृद्धि के साधन जुटाना निरर्थक हो जाता

है। जड़ खोखली हो चले तो पत्तों की धूल झाड़ना कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करता। समस्याओं की जड़ तक पहुँचा जाए और प्रस्तुत विपन्नताओं का कारण खोजा जाए तो प्रतीत होगा कि नर-नारी के पारस्परिक संबंधों में अवांछनीयता का घुस पड़ना ही प्रमुख कारण है, उसे सुधारने के लिए विचारशीलों में से प्रत्येक को प्राणप्रण से प्रयत्न करना चाहिए।



मूलभूत समस्या एवं उसका सही समाधान

आम आदमी की प्रकृति अपने मतलब से मतलब रखने की होती है। पेट भरना और प्रजनन प्रकरण का ताना-बाना बुनना, यही उसकी दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ होती हैं। अपनी इच्छा-आकांक्षायें, चिंता-समस्याएँ इतनी अधिक प्रतीत होती हैं कि उन्हीं में सारा समय, चिंतन और कौशल खप जाता है। उपलब्ध साधन इन्हीं दो प्रयोजनों पर खप जाते हैं, फिर भी इच्छित सफलता दूर ही बनी रहती है। हर कोई अपने को अभावग्रस्त, असंतुष्ट अनुभव करता है। मन भी ऐसे ही ढाँचे में ढल जाता है कि वासना, तृष्णा और अहंता की पूर्ति के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं। ऐसी दशा में उनसे यह आशा करना कि देश, धर्म, समाज, संस्कृति के संबंध में भी कुछ गंभीरतापूर्वक विचार कर सकेंगे, यह आशा कैसे की जाए ? जब विचार करने का ही अवकाश नहीं तो फिर कुछ करने का साहस जुटाने की बात ही कहाँ बनती है ? यदि परमार्थ विषय में आसान हो तो लोक सेवा के, समाज कल्याण के आधार ही कहाँ बन पाते हैं ?

गंदगी हर कोई करता है। मल-मूत्र त्यागता है पर गंदगी की सफाई दूसरे उदार ही करते हैं। इसी प्रकार समस्याएँ हर कोई किसी न किसी स्तर पर खड़ी करता है पर उनकी सफाई करने के लिए दूसरों का सहारा तकता है। आम व्यक्ति में आदत यही पाई

जाती है। उसका अपना जीवन ही इतना भारी होता है कि उसे वहन करने में ही कमर टूटती है। इन परेशानियों में फँसे व्यक्तियों से यह आशा कैसे की जाए कि वे लोक मंगल की—सार्वजनिक हित की समस्याओं पर विचार करेंगे। उनके समाधान में रुचि लेंगे और ऐसा साहस दिखाएँगे कि व्यापक समस्याओं का समाधान उनके द्वारा बन पड़े।

उदारचेता विचारशील बहुत ही कम संख्या में होते हैं क्योंकि उन्हें सर्वप्रथम अपनी निजी आकांक्षाओं पर अंकुश लगाना पड़ता है। सीमा-बद्ध की हुई आवश्यकताएँ तो स्वल्प प्रयत्न से सहज पूरी होती रहती हैं। उनकी पूर्ति किसी के लिए भी कठिन नहीं पड़ती। बँधना तब पड़ता है जब कामनाओं का घटाटोप सिर पर चढ़ा हो। इन्द्र जैसा प्रतापी और संपत्तिशाली बनने की ललक भूत बनकर सवार हो। इन प्रयोजनों में सफलता तो यत्किंचित ही मिल पाती है क्योंकि सूझ-बूझ, गुण-गरिमा, क्षमता एवं परिस्थिति का मिला-जुला परिणाम ही महत्त्वपूर्ण सफलता के रूप में सामने आता है। कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर मनोकामनाएँ पूर्ण करा लेने की बात तो कल्पना मात्र है। पात्रता और प्रयत्नशीलता के उपयुक्त स्तर मिलने पर ही यह संभव होता है कि कोई मनोवांछित भौतिक समृद्धि प्राप्त कर सके। साधारणतया समृद्धि लोमड़ी के खट्टे अंगूर बनकर ही रहती है। फिर भी उसके लिए लालायित तो सभी रहते हैं। इस व्यस्तता में किसी के पास इतना अवकाश नहीं बचता कि लोक मंगल की बात सोचने और उस संदर्भ में कुछ कर गुजरने का सुयोग बन पड़े।

उन्हें भाग्यवान ही कहना चाहिए जो खुदगर्जी से ऊँचे उठकर समाज हित की बातों पर न केवल विचार करें वरन् उसके समाधान हेतु भी सक्रियता बरत सकें। ऐसे नर-रत्न खोजने पर मुश्किल से ही मिलते हैं, जिनके जीवन में आत्म-शोधन का पुण्य ही नहीं जन कल्याण का परमार्थ भी चरितार्थ हो सके। जिस जमाने में उनकी बहुलता थी उसे सतयुग कहा जाता था। उन दिनों हर मनुष्य में देवत्व झलकता, चमकता दृष्टिगोचर होता था। तब समस्याएँ या तो उपजती ही नहीं थीं या उठने पर उनकी जड़ें लोक सेवियों द्वारा

देखते-देखते उखाड़ फेंकी जाती थीं। समाज स्वच्छ, स्वस्थ और सभ्य बना रहता था, पर आज तो स्थिति सर्वथा उलट गयी है। लोक मानस में स्वार्थपरता, संकीर्णता का ही बोलबाला है। लोक मंगल के क्षेत्र में उतरने की बात तो कोई बिरले ही सोचते हैं।

ऐसे नर रत्न जहाँ भी, जितने हों, वहाँ उन तक युग निमंत्रण पहुँचना चाहिए कि परमार्थ प्रयोजनों की गणना करते समय वे नारी समस्या को प्रधानता दें। उस पर प्रमुख रूप से विचार करें। वस्तु स्थिति समझें उस कारण उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों की भयंकरता पर विशेष रूप से ध्यान दें। जड़ को सींचने का प्रयत्न करें तो अनेकानेक पत्र-पल्लव जिनकी शोभा सज्जा जड़ की सुस्थिरता पर निर्भर है, अनायास ही हरे-भरे रहेंगे और अपनी शोभा सज्जा से सभी का मन आकर्षित करेंगे।

विश्व समस्याओं में प्रमुख नारी का अशक्त विकृत स्थिति में पड़ा रहना है। यदि यह स्थिति सुलझ जाए तो नारी की उदात्त भाव-संवेदना परिपुष्ट होकर समूचे संसार पर शासन करेगी और अनौचित्य का हर क्षेत्र में उन्मूलन करके रहेंगी। इस स्थिति तक पहुँचने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि समाधानकर्ता बड़ी संख्या में उत्पन्न हों और वे संगठित होकर अभीष्ट प्रयोजन के लिए प्राण-प्रण में योजनाबद्ध कार्य करें।

ईसाई धर्म अब से पाँच शताब्दी पूर्व संसार भर में एक करोड़ से भी कम लोगों तक सीमित था। इस बीच ईसाई मिशन बने उनसे अपनी विस्तार योजना का कार्य हाथ में लिया। धर्म प्रचारक बड़ी संख्या में प्रशिक्षित किए और वे वहाँ भेजे गए जहाँ सफलता की अधिक संभावना थी। चर्च बने, विद्यालय खुले, चिकित्सालयों के माध्यम से जन संपर्क को सघन बनाया गया। प्रचार साहित्य सृजा गया। देखते-देखते इन्हीं थोड़े वर्षों में उनकी संख्या बढ़कर अरबों के लगभग हो गई। प्रगति का यह अपने ढंग का कीर्तिमान है आज संसार के लगभग एक-चौथाई लोग ईसाई हैं। शेष जनसंख्या में आस्तिकों और अनेकानेक संप्रदायों की गणना होती है।

इस प्रगतिक्रम को दृष्टिगत करते हुए यह सोचा जा सकता है कि नारी पुनरुत्थान के आंदोलन को किस प्रकार आरंभ किया जाए और उसे कैसे सफल बन सकने में समर्थ बनाया जाए। मिल-जुलकर काम करने से ही बड़े काम संपन्न होते हैं। छोटे कामों को तो दो-चार व्यक्ति मिलकर भी कर लेते हैं, पर जहाँ कुछ प्रगतिवानों को छोड़कर शेष लगभग संसार के सभी नर-नारियों को प्रचलित विकृतियों के चंगुल से छुड़ाने का प्रश्न है वहाँ परिमार्जन कार्य भी बड़े पैमाने पर ही होना चाहिए। उसके पीछे भावनाशील बुद्धिजीवियों की, सेवा परायणों की कारगर प्रयत्नशीलता जुड़ी रहनी चाहिए। संगठन के आधार पर प्रचार माध्यमों से इस कार्य की शुरुआत होनी चाहिए।

इस संदर्भ में लेखनी और वाणी दोनों का ही समान उपयोग है। दोनों की ही अपनी-अपनी शक्ति है। संसार में कम्युनिज्म विचारधारा का विस्तार प्रधानतया साहित्य के माध्यम से हुआ है। संसार की हर भाषा में कम्युनिस्ट साहित्य मौजूद है। उनमें दिये गये तर्क इतने प्रभावशाली हैं कि हर विचारशील को प्रभावित करते हैं। नारी समस्या के दोनों पक्षों पर प्रकाश डालने की महती आवश्यकता है। नारी स्वयं उस संकट से कैसे उबरे ? और नर उसे उबारने में किस प्रकार सहयोगी बने ? इस प्रसंग को तर्क, तथ्य, प्रमाण और उदाहरणों के साथ समझाए जाने की आवश्यकता है। इसे अनसुलझा रखने पर दोनों ही पक्ष किस प्रकार कितना दूरगामी संकट उत्पन्न कर रहे हैं। यह समझा और समझाया जा सके तो उससे छुटकारा पाने की इच्छा भी बलवती होगी।

जब किसी बात के दुष्परिणाम समझे जाते हैं और सुधार आवश्यक समझे जाते हैं तो हर संबद्ध व्यक्ति यह विचार करता है कि इस प्रसंग में वह क्या कर सकता है ? किस प्रकार क्या कदम उठा सकता है ? आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इच्छा के अनुरूप साधन भी जुटते हैं और कार्यक्रम भी चल पड़ते हैं। अब तक इस संदर्भ में कोई ठोस कदम इसीलिए नहीं उठ सका कि समस्या की भयंकरता को ठीक तरह नहीं समझा गया। उपेक्षा की जाती रही और अनौचित्य की परंपरा अपने ढर्रे पर चलती रही।

नारी उत्कर्ष के क्षेत्र में काम करने वाले स्त्री-पुरुषों को तदनुरूप शिक्षण दिया जाना चाहिए कि उन्हें किन परिस्थितियों में क्या उपाय अपनाना चाहिए और कार्य की सफलता के लिए किस प्रकार उपयुक्त वातावरण बनाना चाहिए।

लोक शिक्षण के लिए वाणी का उपयोग कम महत्वपूर्ण नहीं है। विशेषतया वहाँ तो उसी माध्यम के सहारे कुछ करते-धरते बन पड़ता है जहाँ शिक्षा का अभाव है। साहित्य को शिक्षित ही पढ़ समझ पाते हैं। पर वाणी के माध्यम से प्रस्तुत किए गए प्रवचन और संगीत सभी वर्गों की ज्ञान वृद्धि में सहायक होते हैं।

नारी उत्थान की योजना विचारशीलों द्वारा संघबद्ध रूप से की जानी चाहिए। भले ही उसका आरंभ विश्वव्यापी न होकर क्षेत्रीय स्तर का ही क्यों न हो। हर छोटे-बड़े कार्य के लिए साधन जुटाने होते हैं। साधनों के बिना छोटे-से-छोटे काम भी पूरे नहीं हो पाते। फिर इतनी बड़ी योजना जिसमें प्रायः समूची मनुष्य जाति किसी न किसी प्रकार संबद्ध हो गयी है। उसके लिए तो उनको प्रचारात्मक, रचनात्मक एवं सुधारात्मक कार्यक्रम बनाने होंगे। वे सभी अपनी प्रगति के लिए साधनों की माँग करेंगे। उन्हें एक-एक करके नहीं जुटाया जा सकता। उनका प्रबंध केंद्रीय स्तर पर ही होना चाहिए। जैसे कि शासन तंत्र अपने पास विपुल साधन जमा करता है। पी. डब्ल्यू. डी., जल निगम जैसे तंत्रों को भी अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए धन की, श्रम की, उपकरणों की व्यवस्था करनी पड़ती है। चर्चों ने ऐसे ही प्रबंध कर रखे हैं। ठीक इसी स्तर पर नारी उत्थान जैसी व्यापक समस्या का आत्यंतिक हल कर सकने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। भले ही वह राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न होकर क्षेत्रीय स्तर पर ही क्यों न हो।

इस प्रयोजन के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है प्रशिक्षित नर-नारी कार्यकर्ताओं की जो यह समझ सकें कि समाधान का व्यावहारिक रूप क्या-क्या हो सकता है। उसे किन परिस्थितियों में किस प्रकार कार्यान्वित करना चाहिए। फिर इन कार्यकर्ताओं में ऐसी सेवा भावना भी भरनी है जो विशुद्ध सेवा भावना से बिना किसी

वेतन की अपेक्षा किए इस कार्य में अपना अधिकाधिक समय देते रह सकें। मौखिक रूप से तो बहुत लोग बढ़-चढ़कर सुधारवादी बनते और लंबी-चौड़ी डींगें हाँकते हैं पर जब काम करने का अवसर आता है तो समयदान या अंशदान के नाम पर बगलें झाँकने लगते हैं। ऐसी दशा में सभी योजनाएँ कागजों पर बनकर रह जाती हैं और समाचार पत्रों में छपकर रह जाती हैं।

समझा जाना चाहिए कि इस प्रयोजन के लिए लोकमानस का परिवर्तन करना विचार क्रांति का सरंजाम जुटाना आवश्यक है। इसके लिए विचार गोष्ठियाँ, सभा सम्मेलनों का सिलसिला चलना चाहिए। सस्ता साहित्य प्रकाशित होना चाहिए। टेप रिकार्डरों, स्लाइड प्रोजेक्टरों का उपयोग होना चाहिए। वीडियो फिल्में दिखाना भी एक अच्छा माध्यम है। चित्र प्रदर्शनियाँ नियोजित की जा सकती हैं। इन माध्यमों से जहाँ भी अनुकूल वातावरण बने वहीं शिक्षा और स्वावलम्बन को प्रोत्साहन देने वाली पाठशालायें स्थापित की जानी चाहिए और ज्ञान वृद्धि का सिलसिला चलाते रहने के लिए पुस्तकालयों का ऐसा जाल बिछाना चाहिए जिनमें नारी उत्थान का मार्गदर्शन करने वाला प्रभावी साहित्य विद्यमान हो। इसे शिक्षित पढ़ें और अशिक्षित सुनें।

बड़े रूप में इस प्रयोजन के लिए बड़े कार्य आरंभ किये जा सकते हैं। प्रभावी पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तकों का प्रकाशन एक है। कार्यकर्ता प्रशिक्षण के लिए बड़े विद्यालय खुल सकते हैं। फिल्म भी इन दिनों एक विचार क्षेत्र को प्रभावित करने वाला सशक्त साधन बन गया है। ऐसी फिल्में भी बन सकती हैं जो नारी-समस्या के समाधान वाले अनेक पक्षों पर प्रकाश डालें। धन की आवश्यकता तो रहेगी ही। उपरोक्त सभी कार्य साधन चाहते हैं। साधन पैसे से जुटते हैं। इसलिए यदि इस पुण्य प्रयोजन के लिए जनता जनार्दन से पैसे की याचना की जाए, तो उससे भी कहीं कमी न रहेगी। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि यह कार्य होकर ही रहेगा। इक्कीसवीं सदी निश्चित ही नारी की ही होगी।

मुद्रक: युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा